UPSP010004362024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम, सहारनपुर।
पीठासीन अधिकारी– श्रेय शुक्ला (उच्चतर न्यायिक सेवा)यी.पी. 3845
सत्र परीक्षण संख्या 103/2024

उत्तर प्रदेश राज्य .... **अभियोजन।**

बनाम

अनुपम पुत्र सुशील निवासी सिम्भालकी शेख थाना जनकपुरी, जिला सहारनपुर।

.... **अभियुक्त।**

मुकदमा अपराध संख्याः– 220/2023
धाराः–376,323,328,386,506 भा0दं0सं0 व धारा 67 आई.टी.एक्ट
थानाः जनकपुरी, जनपद सहारनपुर।

महत्वपूर्ण तिथियां एवं घटनायें

क्रम सं.	तिथि	घटना
1.	22.08.2023	घटना की दिनांक
2.	02.10.2023	प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत
3.	11.12.2023	आरोप पत्र प्रेषित एवं विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा प्रसंज्ञान
4.	10.01.2024	सत्र सुपुर्दगी
5.	24.01.2024	आरोप विरचित
6.	08.06.2026	ब्यान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0
7.	16.06.2026	बहस पूर्ण हुई, निर्णय सुरक्षित।
8.	19.06.2026	निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तृतीय, सहारनपुर द्वारा मु0अ0सं0 220/2023 सरकार बनाम अनुपम अन्तर्गत धारा 376,323,328,386,506 भा0दं0सं0 व धारा 67 आई.टी.एक्ट थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर में पारित सुपुर्दगी आदेश दिनांकित 10.01.2024, सत्र परीक्षण संख्या 103/2024 में पारित सुपुर्दगी आदेश दिनांकित 10.01.2024 से उत्पन्न सत्र प्रकरण।

उपस्थिति– राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) श्री सतीश सैनी।
अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता– श्री मौहम्मद आलमगीर

निर्णय

माननीय उच्चतम न्यायालय की निर्णयज विधि व्यवस्था **भूपेंद्र वर्मा बनाम हिमाचन प्रदेश राज्य 2003 AIR (SC) 4664** एवं निर्णयज विधि व्यवस्था **निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ 2019(2)SCC 703 एवं 228(क)** भारतीय दंड संहिता के अनुपालन में पीडिता/पीडिता की पहचान गोपनीय रखने के आशय उसके तथा उसके परिवार के सदस्यो नाम का उल्लेख न करके पीडिता को ''पीडिता'' तथा पीडिता के पति को''पीडिता का पति'' के रूप में निर्णय में संबोधित किया जाएगा।

1. पुलिस थाना जनकपुरी, जिला सहारनपुर द्वारा **मुकदमा अपराध संख्या 220/2023** में आरोप पत्र **प्रदर्श क–11 अभियुक्त अनुपम** के विरूद्ध अन्तर्गत **धारा 376,323,328,386,506 भा0दं0सं0 व धारा 67 आई.टी.एक्ट** में विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर प्रसंज्ञान लिया गया।

2. मुकदमा अपराध संख्या 220/2023 अन्तर्गत धारा 376,323,328,386,506 भा0दं0सं0 व धारा 67 आई.टी.एक्ट के अनन्य रूप से सत्र परीक्षणीय होने के आधार पर अमर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तृतीय, सहारनपुर द्वारा दिनांक 10.01.2024 को सत्र सुपुर्द किया गया। इस न्यायालय को उपरोक्त सत्रवाद माननीय सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार अन्तरण पर प्राप्त हुआ।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि प्रार्थिया/वादिनी मुकदमा एक सीधी सादी अमन पंसद घरेलू व शादीशुदा महिला है, जो अपने पति व बच्चो के साथ ग्राम छज्जपुरा में रहकर अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही थी। प्रार्थिया/वादिनी मुकदमा के यहां विपक्षी का आना जाना हो गया था और विपक्षी प्रार्थिया के यहां लगातार आने जाने का फायदा उठाकर प्रार्थिया को बहला फुसलाकर व जादू टोना व अपनी मीठी–मीठी बातो में लेकर प्रार्थिया को अपने विश्वास में ले लिया और प्रार्थिया के साथ झूठे प्रेम प्रसंग की बाते करने लगा व प्रार्थिया का मोबाईल नम्बर भी ले लिया। प्रार्थिया के साथ प्रेम प्रसंग की झूठी बाते करके लाखे रूपये प्रार्थिया से ऐंठ लिये और दिनांक 22.08.2023 की शाम के लगभग 08:00 बजे प्रार्थिया के पति की मर्जी के बिना प्रार्थिया को किसी अज्ञात स्थान पर लेकर चला गया और वहां पर प्रार्थिया की मर्जी के खिलाफ दो दिन तक कोल्डड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ पिलाकर लगातार बलात्कार करता रहा और नशे की हालत में होने के कारण प्रार्थिया की अश्लील वीडियो भी बना ली, जब प्रार्थिया को दो दिन बाद होश आया तो वहां से विपक्षी गायब हो गया था। प्रार्थिया बामुश्किल किसी तरह वहां से अपने घर आयी और सारा वाका अपने पति को बताया, लेकिन प्रार्थिया व प्रार्थिया के पति ने इज्जत की खातिर इस बात को किसी को नही बताया व विपक्षी वीडियो के सहारे प्रार्थिया को ब्लैकमेल करता रहा एवं राणा स्टील से पहले सडक पर सरेआम प्रार्थिया का हाथ पकड लिया और प्रार्थिया को अपने साथ जबरन ले जाने लगा, जिस पर प्रार्थिया के पति ने विरोध किया तो विपक्षी ने प्रार्थिया के पति के साथ मारपीट की, जिससे प्रार्थिया के पति को काफी चोटे आयी। भीड इकट्ठा होने पर विपक्षी वहां से फरार हो गया लेकिन विपक्षी पर प्रार्थिया की अश्लील वीडियो है, जिनसे विपक्षी प्रार्थिया व प्रार्थिया के पति को लगतार ब्लैकमेल कर उक्त वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा है। विपक्षी ने एक वीडियो प्रार्थिया के पति के मोबाईल नम्बर 9760090607 पर भी भेजी है व अश्लील वीडियो के माध्यम से प्रार्थिया व प्रार्थिया के पति से एक लाख रूपये की डिमांड व प्रार्थिया से गलत संबंध बनाने के लिए कह रहा है और तब उक्त अश्लील वीडियो को डिलिट करने की बात कर रहा है। विपक्षी प्रार्थिया को उपरोक्त बाते ना मानने पर प्रार्थिया के परिवार को फोन पर लगातार जान से मारने की धमकी व वीडियो वायरल करके प्रार्थिया व उसके परिवार की इज्जत को नीलाम करने की धमकी दे रहा है। प्रार्थिया व प्रार्थिया का परिवार उपरोक्त घटना के बाद से काफी सदमें में है तथा भयभीत है। प्रार्थिया/वादी मुकदमा ने विपक्षी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज की जाकर कडी से कडी कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना की है।

4. प्रार्थिया/वादिनी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना जनकपुरी, जिला सहारनपुर में दिनांक 02.10.2023 को समय 12:43 बजे **प्राथमिकी प्रदर्श क–6** मुकदमा अपराध संख्या 220/2023 धारा 376,323,328,386,506 भा0दं0सं0 व धारा 67 आई.टी.एक्ट पंजीकृत करायी गयी, जिसकी प्रविष्टी उसी समय कायमी **जी0डी0 प्रदर्श क–7** में की गई।

5. विवेचक द्वारा दौरान विवेचना संकलित साक्ष्यों के आधार पर **अभियुक्त अनुपम** के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत **धारा 376,323,328,386,506 भा0दं0सं0 व धारा 67 आई.टी.एक्ट प्रदर्श क–11** न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय द्वारा **अभियुक्त अनुपम** के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत **धारा 376,323,328,386,506 भा0दं0सं0 व धारा 67 आई.टी.एक्ट दिनांक 24.01.2024** को विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाये गये। आरोप से अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण

का दावा किया।

7. आरोप को साबित करने के लिए **अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य** में औपचारिक गवाहों सहित तथ्यों के निम्नलिखित साक्षीगण को शपथ पर परीक्षित कराया गया–

कम सं0	**साक्षीगण के नाम**	**पी0डब्लू0 संख्या**
1	(वादी मुकदमा)पीडिता	पी0डब्लू0 –1
2	डा0 दीपिका सिंह	पी0डब्लू0 –2
3	कांस्टेबल कुलदीप	पी0डब्लू0 –3
4	निरीक्षक संजय सिंह	पी0डब्लू0 –4
5	कांस्टेबल रोहित	पी0डब्लू0 –5

8. अभियुक्त पक्ष की ओर से अपने कथनो के समर्थन में साक्षी **डी0डब्लू01** युसुफ व **डी0डब्लू02 पिंकी** को परीक्षित कराया गया है।

9. मौखिक साक्ष्य की पुष्टि के लिए अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित **अभिलेखीय साक्ष्य** भी प्रस्तुत किये हैं–

कम सं	**विवरण**	**प्रदर्श संख्या**	**द्वारा साबित किया गया**
1	तहरीर	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0 –1
2	बयान पीडिता 164सी.आर.पी.सी.	प्रदर्श क–2	पी0डब्लू0 –1
3	चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट	प्रदर्श क–3	पी0डब्लू0 –2
4	पैथोलोजी फार्म	प्रदर्श क–4	पी0डब्लू0 –2
5	सप्लीमैंट्री रिपोर्ट	प्रदर्श क–5	पी0डब्लू0 –2
6	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–6	पी0डब्लू0 –3
7.	जी0डी0	प्रदर्श क–7	पी0डब्लू0 –3
8.	65 बी प्रमाण पत्र	प्रदर्श क–8	पी0डब्लू0 –4
9.	नमूना मोहर	प्रदर्श क–9	पी0डब्लू0 –4
10.	फर्द कागज सं. 11क	प्रदर्श क–10	पी0डब्लू0 –4
11.	आरोप पत्र	प्रदर्श क–11	पी0डब्लू0 –4
12.	सीलबंद वीडियो की सीडी	वस्तु प्रदर्श –1	पी0डब्लू0 –4
13.	बयानो की सीलबंद सीडी	वस्तु प्रदर्श –2	पी0डब्लू0 –4

10. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त **अभियुक्त अनुपम** का बयान **अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0** दिनांक 08.06.2026 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को झूठा कहा है। अभियुक्त ने साक्षी पी0डब्लू01 के बयान के संबंध में कथन किया है कि झूठा बयान दिया है। अभियुक्त ने साक्षी पी0डब्लू02 के बयान के संबंध में कथन किया है कि झूठा बयान दिया है। अभियुक्त ने साक्षी पी0डब्लू03 के बयान के संबंध में कथन किया है कि झूठा है। अभियुक्त ने साक्षी पी0डब्लू04 के बयान के संबंध में कथन किया है कि झूठा व गलत बयान दिया है। अभियुक्त ने मुकदमा रंजिशन चलना कहा है, अभियुक्त ने सफाई देने का कथन किया है, तथा अपने विशेष कथन में कहा है कि पीडिता वादिया पीडिता के पति युसूफ पर मेरे पैसो का लेने देन के चलते विवाद हो गया था, इसी कारण युसूफ ने अपनी पत्नी पीडिता से मेरे ऊपर झूठा केस लगवाया है। मैने कोई अपराध नही किया है।

11. इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान अपर

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया।

12. अभियोजन द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि समस्त अभियोजन साक्षीगण एवं प्रपत्र अभियोजन कथानक का समर्थन करते है। अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध अपना केस युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त अनुपम को दोषसिद्ध किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

13. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्त आरोप साबित नहीं हो पाया है, जिससे सम्पूर्ण अभियोजन कथानक संदेहास्पद प्रतीत होता है। अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध अपना केस युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाये।

14. विधि व्यवस्था–**भागीरथ बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1976 इलाहाबाद केसेस सु0को0 1** में माननीय न्यायालय ने कहा है कि–अभियोजन को अपने साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होगा। उसे बचावपक्ष के कमियों का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। विधि व्यवस्था–**लतेश उर्फ दादू बाबूराव कारलेकर बनाम महाराष्ट्र राज्य 2018(1) सुप्रीम 524** में कहा है कि–The reasonableness of a doubt must be a practical one and not on an abstract theoretical hypothesis. Reasonableness is a virtue that forms as a mean between excessive caution and excessive indifference to a doubt. इसी प्रकार विधि व्यवस्था–**नरेश बनाम उत्तराखण्ड राज्य 2018(4) सुप्रीम 482** में कहा है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि किसी घटना में उसकी भूमिका एवं संलिप्तता युक्ति–युक्ति संदेह से परे साबित नहीं हो जाता। विधि व्यवस्थाः– **सुरेशचन्द्र जाना बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2017 (68) SCALE 697** में कहा है कि– "...it is not every doubt but only reasonable doubt of which benefit can be given to the accused... which is the doubt which rational thinking man would reasonably, honestly and conscientiously entertain and not the doubt of a vacillating mind that has no moral courage and prefers to take shelter itself in a vain and idle Scepticism." विधि व्यवस्था–**जैकाम खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2022 (1) जे.आई.सी. 289 सुप्रीम कोर्ट** में कहा है कि burden lies on the prosecution to prove the allegations beyond reasonable doubt. Accused has only to create a doubt about the prosecution case and the probability of defence. An accused is not required to establish or prove his defence beyond reasonable doubt, unlike the prosecution.

15. अभियोजन को युक्ति युक्त संदेह से परे यह सिद्ध करना है कि क्या दिनांक 20.08.2023 को समय करीब 20:00 बजे स्थान ग्राम छजपुरा थाना गागलहेडी, जिला सहारनपुर के क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त अनुपम के द्वारा वादी मुकदमा को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, मारपीटकर साधारण उपहति कारित की गयी, कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाने, वादी मुकदमा पीडिता को से घोर उपहति के भय में डालकर जबरन पैसे की वसूली करने, जानसे मारने की धमकी देने तथा पीडिता की वीडियो का प्रसार किया गया।

16. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष को साबित करने हेतु जो साक्षी परीक्षित कराये गये है, उनकी साक्ष्य का अवलोकन किया जाना आवश्यक है–

17. अभियोजन **साक्षी पी0डब्लू0 1 वादी मुकदमा पीडिता** ने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया कि "मैं अपने ग्राम छजपुरा में रहकर अपने पति और बच्चों के साथ जीवन यापन कर रही थी। हाजिर अदालत मुल्जिमान अनुपम जिस नौशाद के मकान में, हम ऊपर किराये पर रहते थे उसी मकान में नीचे गुड शक्कर की पैकिंग करा काम करता था। मुल्जिम अनुपम ने मेरे साथ जान पहचान बढ़ाकर मुझसे मीठी–मीठी बाते करने लगा और मुझे बहला–फुसलाकर मुझसे मेरा मोबाइल नम्बर ले लिया और मुझे प्रेम प्रसंग में फंसाकर मुझसे पैसे ऐंठने लगा। दिनांक 22.08.2023 को शाम के 08.00 बजे यह मुझे बहला–फुसलाकर राणा स्टील से मुझे ऑटो से सहारनपुर सिटी लेकर आया। वहां इसने मुझे कोल्डड्रिंक

पिलाई, उसमें कुछ नशीला पदार्थ था जिससे मैं बदहवास हो गयी। वहां इसने मेरे साथ मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे बलात्कार किया और मेरी अश्लील वीडियो बनाई और वहां से गायब हो गया। मैं किसी तरह अपने घर आई और सारा वाकया अपने पति को बताया। मैंने व मेरे पति ने इज्जत की खातिर किसी को कुछ नहीं बताया। अनुपम वीडियो के सहारे मुझे ब्लैकमेल करता रहा। इसने राणा स्टील से पहले एक दिन मेरा सड़क पर सरेआम हाथ पकड़ लिया और मुझे जबरन ले जाने लगा, जिसका मेरे पति ने विरोध किया तो अनुपम ने मेरे पति के साथ मारपीट भी की, जिससे उसे गुम चोटें आयी। अनुपम मुझे लगातार ब्लैकमेल कर वीडियो को वायरल करने की धमकी देता था। इसने मुझे धमकी देकर मेरे से एक लाख रूपए भी ऐंठ लिए और इसके बाद वीडियों को मेरे पति के मोबाइल नंबर पर भेज दिया और इसके बाद भी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसो की मांग करता था व जान से मारने की धमकी देता था। अपने साथ हुई घटना की रिपोर्ट थाना जनकपुरी पर लिखवाई थी। गवाह ने पत्रावली पर कागज सं. 4क/4 ता 4क/5 को देखकर कहा कि यह वही प्रार्थना पत्र पर है जो मैंने रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु थाना जनकपुरी पर दिया था, जिस पर मेरा निशानी अंगूठा है, शिनाख्त करती हूं, जिस पर **प्रदर्श कर–1** डाला गया। अनुपम ने वीडियो को कई लोगों के मोबाइल पर वायरल कर दिया था। इस घटना के संबंध में दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था व न्यायालय में भी मेरा बयान दर्ज हुआ था। न्यायालय की अनुमति से एक पीला लिफाफा जिस पर क्राइम नं. 220/23, धारा 376, 328, 386, 323, 506 आई.पी.सी. व 67 आई. टी. एक्ट, थाना जनकपुरी बयान पीड़िता, निवासी XXXX जिला सहारनपुर लिखा है, जिस पर सिविल जज जू०डि० द्वितीय लिखा है व न्यायालय की मोहर व हस्ताक्षर है। लिफाफा खोलने पर उसमें से एक अन्य पीला लिफाफा 02 पुलिस प्रपत्र व पीड़िता बयान 164 निकला। बयान 164 सीआरपीसी पर पीड़िता ने अपना फोटो व हस्ताक्षर शिनाख्त किये, जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। पीड़िता को उसका बयान 164 सी.आर.पी.सी. पढ़कर सुनाया गया। सुनकर पीड़िता ने कहा यह वही बयान है जो मैंने न्यायालय में दिया था। घटना के संबंध में मेरा मेडिकल भी हुआ था।"

18. बचाव पक्ष की तरफ से की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि "मेरी शादी को 15–16 साल हो गये है। मेरे चार बच्चे है। मैं अपने बच्चो व पति के साथ इकटठा ही रहती हूं। हम नौशाद के मकान पर 6–7 साल से रह रहे है। रिपोर्ट मैने थाने पर खुद लिखवाई थी। मैने अपनी तहरीर में यह बात लिखवा दी थी कि मैं नौशाद के मकान में किराये पर रहती हूं और यह बात भी उसी मकान में नीचे अनुपम गुड शक्कर की पैकिंग का काम करता था। वहीं पर मेरी उससे जान पहचान हुई। यह बात लिख दी थी। अगर मेरी तहरीर में उक्त बात नही है तो मैं इसकी वजह नही बता सकती हूं। मैने भी मुलजिम के साथ पन्द्रह दिन काम किया है। यह बात भी मैने पन्द्रह दिन मुलजिम के साथ काम किया था अपनी तहरीर में लिखवा दी थी। मेरे ध्यान नही है कि मैने यह बात कि वह मेरे लिये दो–तीन बार मिठाई लेकर आया। मैने मिठाई खाई। खाने के बाद उसके जाल में फंसती चली गई। हम दोनो के बीच में बाते होने लगी। लिखवाई थी या नही मेरे ध्यान नही है। मैने यह बता भी उसने मुझे बुलाया राणा स्टील से वह मुझे आटो से सहारनपुर सिटी लेकर आया। तहरीर में लिखवाई थी। अगर उक्त बात मेरी तहरीर में नही लिखी तो मैं इसकी कोई वजह नही बता सकती हूं। मुझे सहारनपुर सिटी में मुलजिम किस जगह लेकर आया था मुझे नही पता। मुझे यह भी नही पता कि सहारनपुर से छजजपुरा कितनी दूर है। मुझे नही पता कि थाना जनकपुरी कितनी दूर है। मुझे यह भी नही पता कि छजजपुरा से सहारनपुर अने में एक घंटा लगता है या दो घंटे लगते है। मुझे राणा स्टील आने में एक घंटा लगा था या दो घंटे लगे थे, मुझे नही मालूम। मेरे घर से राणा स्टील कितनी दूर है बता नही सकती और यह भी नही बता सकती कि दो किलोमीटर दूर है, तीन किलोमीटर दूर है या चार किलोमीटर दूर है। मुझे नही पता कि राणा स्टील कहा पर है ना ही मैने कभी राणा स्टील देखा। फिर कहा कि गाडी से आते जाते देखा है। मुझे नही पता कि मैं मुलजिम के साथ आटो में कहां से बैठी थी। मुझे नही पता कि मैं सहारनपुर में घण्टाघर पर उतरी थी या बाजार में उतरी थी। मुझे कोल्डड्रिंक मुलजिम ने ऑटो में ही पिला दी थी। मुझे नही पता कि कोल्डड्रिंक मुझे सहारनपुर में पिलाया था या आटो में पिलाया था। मैं आटो में ही बेहोश हो गई थी। ऑटो में हम सिफ दोनो ही थे और कोई नही था। मुझे ध्यान नही है कि हम सहारनपुर कितने बजे

आ गये थे। मैं अंदाजे से यह भी नही बता सकती कि रात में दस बजे आये या कितने बजे आये। मुझे यह भी ध्यान नही कि सुबह मुझे कितने बजे होश आ गया था। जब मुझे होश आया मैं अकेली ही थी। मैं कमरे में ही थी। मुझे नही पता कि वह कमरा सहारनपुर था या गांव में था या कहां था। मैं अगले दिन अपने घर किस समय आई थी मेरे यान नही है। मैं अपने घर बस से आई थी। मैं अम्बाला साईड से आई थी। मुझे एक बुजुर्ग ने बैठाया था। उसने मुझे सौ रूपये दिये थे। मैं जंगल में थी। मुझे बुजुर्ग ने ही बताया था कि मैं अम्बाला शहर में हूं। अम्बाला, हरियाणा प्रदेश में पडता है। मैने यह बात की मुझे अम्बला शहर में होश आया था। वहां एक बुजुर्ग ने मुझे सौ रूपये देकर एक बस में बैठाया था। अपनी तहरीर में लिखवा दी थी। अगर मेरी तहरीर में यह बात नही है तो मैं इसकी कोई वजह नही बता सकती हूं। मुकदमा लिखाने के बाद मेरा मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ था। मुझे ध्यान नही है कि मैने मजिस्ट्रेट को यह बात की मुलजिम मकान के नीचे गुड–शक्कर की पैकिंग का काम करता था मुलजिम अनुपम द्वारा मेरे साथ जान पहचान बढाकर मुझसे मीठी बाते करने लगा और मुझे प्रेम प्रसंग में फंसाकर मेरे से पेसे ऐठने लगा। उक्त बात बताई थी या नही। मेरे ध्यान नही है। मुझे यान नही है कि मैने मजिस्ट्रेट को घटना वाली तारीख बताई थी या नही। मुझे नही पता कि मजिस्ट्रेट ने अगर घटना की तारीख 22.09.2023 लिखी है। सही लिखी है या नही मैने मजिस्ट्रेट को मुलजिम का नाम अनुपम बता दिया था। अगर मेरे बयान ाारा 164सी.आर.पी.सी. में मुलजिम का नाम अम्कुम लिखा है तो मैं इसकी कोई वजह नही बता सकती। मैने मजिस्ट्रेट को यह नही बताया था कि मेरे साथ बलात्कार कहा हुआ था, फिर कहा मेरे यान नही है कि मैने बताया था या नही। इस घटना से पहले मेरे या मेरे पति का मुलजिम से कोई झगडा नही हुआ। मुझे ध्यान नही कि मैने अदालत में मुख्य परीक्षा में यह बात कि राणा स्टील से पहले एक दिन मेरा सरेआम सडक पर हाथ पकड लिया था और मुझे सरेआम ले जाने लगा था, जिसका मेरे पति ने विरोध किया तो अनुपम ने मरे पति के साथ मारपीट की थी जिससे उन्हे गुम चोटे आई, दिया था या नही, मेरे ध्यान नही। मेरे यह भी ध्यान नही है कि उक्त बात मैने अपनी तहरीर में लिखवाई थी या नही। इस घटना के करीब एक माह बात मैने थाने पर तहरीर दी थी। मेरे पति रेहडा चलाते है। एक हजार या बारह सौ रूपये रोज की आमदनी है। मैने मुलजिम को एक साल तक लगातार थोडे–थोडे पैसे देती रही। घटना से पहले जब तक अभियुक्त ने मेरे साथ कुछ नही किया था। तब से ही मेरे से पैसे मांगता था और मैं तब से ही पैसे दे रही थी। इस घटना से एक माह पहले से जब मैं उसके साथ काम करती थी तभी से मैं उसे पैसे देती थी हाथ उधार पैसे देती थी। फिर मुलजिम ने मेरे उधार के पैसे वापस नही किये। मैने उधार पैसे कहीं लिख कर नही दिये अंदाजे से बताती हूं कि एक लाख रूपये दिये थे। चूंकि मैं अनपढ हूं जिस मकान में अम्बला में रूकी थी उस मकान में और कोई नही था ना ही मैने किसी से पूछा कि यह किसका मकान है। उस मकान के आस पास कोई रिहायशी मकान नही था। वह अकेला ही था। मकान जंगल में था। जहां से मुझे मुलजिम ने आटो में बिठाया था और जहां पर मेरे साथ बलात्कार हुआ वह जगह मैने दरोगा जी को नही दिखाई थी। मैं 23.08.2023 को अपने घर आ गई थी। मैने अपने पति को सारी बाते बता दी थी। थाने पर जब मैं गई थी तो पुलिस ने मेरा बयान लिया था। मैने अपने बयान धारा 161द.प्र.सं. में पुलिस को बता दिया था कि घटना 22.08.2023 की है। अगर मेरे बयान धारा 161द.प्र.सं. में घटना का दिनांक नही लिखा है तो मैं इसकी कोई वजह नही बता सकती हूं। घटना के पन्द्रह दिन बाद मुलजिम ने वीडियो मेरे पति के मोबाईल पर भेजी थी। वह वीडियो मैने पुलिस को दे दिया था। दिनांक 22.08.2023 से पहले मेरे साथ कोई घटना अभियुक्त ने नही की, केवल बात चीत ही होती थी। इस घटना से पहले मैं कभी उसके साथ बाहर नही गई। मुलजिम गुड–शक्कर की पैकिंग पर मिलता था और घर भी आता–जाता रहता था। मुलजिम पानी वानी लेने आ जाता था। वैसे उसका मेरे यहां आना जाना नही था। मैने अपनी रिपोर्ट में यह लिखवाया था कि मुलजिम का मेरे घर आना जाना हो गया था और आने जाने के कारण मीठी–मीठी बाते करने लगा और प्रेम प्रसंग की बाते करते हुए लाखो रूपये ऐंठ लिये। यह बात मैने सही लिखवाई थी। मैने अंदाजे से लाखो रूपये लिखवाये थे। प्रेम प्रसंग में मीठी–मीठी बाते बनाकर अभियुक्त ने मेरे से पैसे लिये थे। यह कहना गलत है कि इस तरह की कोई घटना ना हुई हो। यह कहना भी गलत है कि मुलजिम ने मुझे कोल्डड्रिंक

पिलाकर नशा देकर मेरे साथ बलात्कार किया हो। यह कहना भी गलत है कि मेरा मुलजिम से पैसे को लेकर झगडा हुआ हो। यह कहना भी गलत है कि मैन कानूनी मश्वरे से झूठा मुकदमा लिखवाया हो। यह कहना भी गलत हे कि मैं आज कुल बयान झूठा दिया हो।"

19. अभियोजन **साक्षी पी0डब्लू0 2 डा0 दीपा सिंह** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान किया है कि "दिनांक 03.10.2023 को मैं बतौर ई०एम०ओ० जिला महिला अस्पताल सहारनपुर पर तैनात थी। उक्त दिनांक को मेरे द्वारा पीड़िता उम्र लगभग 35 वर्ष निवासी XXXX जिसे महिला कांस्टेबल मन्जू राणा, थाना जनकपुरी लेकर आयी थी का चिकित्सीय परीक्षण मेरे द्वारा किया गया। पीड़िता का पहचान चिन्ह दाये गाल पर नाक के नीचे काला तिल था। पीड़िता का दाया व बाये हाथ का निशानी अंगूठा लगवाया गया। पीड़िता द्वारा बताया गया कि अनुपम के द्वारा लगभग 20 दिन पहले मुझे किसी अन्जान स्थान पर बातचीत के लिए बुलाया गया था। जहां उसने कोल्डड्रिंक में कुछ मिलाया जिसे पीने से मैं बेहोश हो गयी थी। अगली सुबह होश आने पर पता चला कि मेरा रेप हुआ है। और कमरे में सिर्फ अनुपम दिखा था। मेरी अपमानजनक वीड़ियो बनाई गयी जिससे मुझे ब्लैकमेल किया गयी। पीड़िता अपने कपड़े बदल चुकी थी। और नहा चुकी थी। पीड़िता का जनरल फिजिकल एक्जामिनेशन सामान्य था। पीड़िता के शरीर पर कोई बाह्य चोट का निशान नहीं था। पीड़िता का हाइमन ओल्ड हील्ड एण्ड टोर्न पाया गया। कोई फ्रेश इंजरी नहीं पायी गयी। पीड़िता पूर्ण होशों हवास में थी। पीड़िता के आवश्यक सैम्पल पैथोलोजी लैब हेतु व एफ.एस.एल. हेतु लिये गये। पीड़िता का मेड़िकल 01.00 पी.एम. पर पूर्ण कर लिया गया। मेडिकल रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी। जो पत्रावली के कागज सं. 7क/1 ता 7क/12 मेरे सामने है। जिस पर पीड़िता का निशानी अंगूठा लगा है जो मेरे द्वारा प्रमाणित है, मैं अपने हस्ताक्षर शिनाख्त करती हूं, मेडिकल रिपोर्ट पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। पैथोलोजी फार्म पत्रावली के कागज सं. 7क/13 मेरे सामने है। मेरे हस्तलेख में है। जिस पर मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करती हूं। जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। पैथोलोजी रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 17.10.2023 को सप्लीमेंट्री रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी। जो पत्रावली के कागज सं. 7क/14 मेरे सामने है, जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया।"

20. बचाव पक्ष की तरफ से की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि ''मैं वर्तमान में भी जिला महिला चिकित्सालय सहारनपुर में इएमओ के पद पर तैनात हूं। प्रदर्श क–3 मैडिकल रिपोर्ट मेरे हस्तलेख में है। पीडिता के बताये अनुसार ही मैने घटना के संबंध में पीडिता का बयान लिखा था। यह बात सही है कि घटनास्थल का कोई विवरण मेरी रिपोर्ट में नही है ना ही पीडिता ने मुझे घटनास्थल का विवरण बताया था। पीडिता द्वारा घटना मैडिकल होने वाले दिन से बीस दिन पहले की बताई थी। वही मैने रिपोर्ट में अंकित की थी। मैडिकल परीक्षण में जो कोल्डड्रिंक रिपोर्ट के कालम नं0 15डी के कालम नं01 में Yes/unknown in cold drinks पीडिता के बताये अनुसार लिखा है। यह बात सही है कि पीडिता के अनुसार घटना के संबंध में यह प्रथम मैडिकल परीक्षण है। पीडिता के शरीर पर कोई ताजी या नई चोट नही थी। यह बात भी सही है कि पीडिता के कपडे मैडिकल वाले दिन घटना वाले नही थे। यह बात सही है कि मेरी राय में पीडिता के साथ पीडिता द्वारा बताई गई बलात्कार की घटना की पुष्टि निश्चित रूप से नही की जा सकती। एफएसएल की रिपोर्ट पत्रावली पर अभी फिलहाल उपलब्ध नही है। यह कहना गलत है कि मैने पीडिता से मिलकर गलत मैडिकल रिपोर्ट तैयार की हो।''

21. अभियोजन **साक्षी पी0डब्लू0 3 कांस्टेबल 2537 कुलदीप सिंह** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान किया है कि " दिनांक 02.10.2023 को मैं बतौर सी.सी. थाना जनकपुरी पर तैनात था। उक्त दिनांक को वादिया पीडिता निवासी XXXX की तहरीर के आधार पर क्राइम न० 220/2023, धारा 376,328,386,323,506 आई.पी.सी. व 67 आई.टी. एक्ट बनाम अनुपम पुत्र सुशील कायम हुआ था, जिसकी चिक मेरे द्वारा किता की गयी थी जो पत्रावली के कागज सं. 4क/1 ता 4क/2 मेरे सामने है। प्रमाणित करता हूं। जिस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया। जीडी में जिसका खुलासा रपट नं. 41, समय 12.43 बजे मेरे द्वारा किया गया था। कम्प्यूटराईज्ड जीडी जिस पर थाना हाजा की मोहर व हस्ताक्षर है। पत्रावली में कागज सं. 4क/3 मेरे सामने है, प्रमाणित करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया।"

22. बचाव पक्ष की ओर से की गयी **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि "इस वाद

की एफ.आई.आर. दिनांक 02.10.2023 को मेरे द्वारा लिखी गई जो दिनांक 20.08.2023 की घटना की बाबत लिखी थी। उपरोक्त मुकदमे की जीडी भी दिनांक 02.10.2023 को ही काट दी थी। संलग्न तहरीर वही तहरीर है जिसके आधार पर मुकदमा कायम किया था। यह बात सही है कि तहरीर पर अंगूठा लगा है। यह तहरीर देने थाने पर पीडिता व उसका पति आया था। यह बात सही है कि वादिया ने किस दिन तहरीर दी वह दिनांक अंकित नही है। जिस दिन वादिया तहरीर लेकर आई थी उसी दिन मुकदमा लिख दिया गया था। वादिया पीडिता अब तक संलग्न तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखा गया, तब तक थाने पर ही रही थी। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि इस मुकदमे में तहरीर देने वाले दिन ही वादिया का धारा 161द.प्र.सं. अंकित किया गया था या नही। यह कहना गलत है कि संलग्न तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम ना किया गया हो और आज न्यायालय में झूठा बयान दे रहा है।"

23. अभियोजन **साक्षी पी0डब्लू0 4 निरीक्षक संजय कुमार** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान किया है कि " दिनांक 02.10.2023 को मैं बतौर निरीक्षक थाना जनकपुरी पर तैनात था। उक्त दिनांक को मेरे द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–220/2023,धारा 376,328,386,323,506 भा०दं०सं० व 67 आई.टी. एक्ट बनाम अनुपम की विवेचना प्राप्त हुई थी। उक्त दिनांक को ही मेरे द्वारा सीडी का पर्चा नं० 01 किता किया गया था, जिसमें नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ.आई.आर. लेखक कांस्टेबल कुलदीप सिंह अंकित किये थे। दिनांक 03.10.2023 को सीडी का पर्चा नं. 2 किता किया गया था जिसमें पीड़िता को मेडिकल सरकारी अस्पताल सहारनपुर में कराया गया व मेडिकल का अवलोकन कर सीडी में अंकित किया साथ ही महिला कांस्टेबल मंजु राणा के द्वारा मेरी मौजूदगी में पीड़िता के बयान लिए गये। पीड़िता के साथ आये पीड़िता के पति के बयान दर्ज किये गये। पीड़िता के पति द्वारा एक सीडी उपलब्ध कराई गयी जो मेरे सुपुर्दगी में लेकर सील सर्वे मोहर किया गया व नमुना मोहर बनाया गया तथा पीड़िता के पति से 65 बी का प्रमाण पत्र लिया गया जो पत्रावली के कागज सं. 13ख/55 मेरे सामने है। नमुना मोहर पत्रावली पर कागज सं. 10क/1 व 10क/2 मेरे सामने है, जिन पर मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूं, जिन पर क्रमशः **प्रदर्श क–8** व **प्रदर्श क–9** डाले गये। सील बंद वीडियो की सीडी पत्रावली पर कागज सं. 9क/1 मेरे सामने है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। सीडी पर **वस्तु प्रदर्श–1** डाला गया। पीड़िता के धारा 161 सी.आर.पी.सी. के बयानों की सीलबंद सीडी पत्रावली 9क/2 मेरे सामने है जो सील बंद अवस्था में है, जिन पर मेरे हस्ताक्षर है, जिस पर **वस्तु प्रदर्श–2** डाला गया। पीड़िता के पति द्वारा एक मोबाईल सैमसंग गैलेक्सी उपलब्ध कराया गया, जिसको सुपुर्दगी में लेकर सील–सर्वे मोहर किया गया और परीक्षण हेतु भेजा गया। फर्द तैयार की गयी जो पत्रावली पर कागज सं. 11क मेरे सामने है, मेरे हस्तलेख में है, जिस पर गवाहान पीडिता के पति व गुलशाना व पीड़िता का निशानी अंगूठा लगा है, जिस पर मैं अपने हस्ताक्षर शिनाख्त करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–10** डाला गया। फर्द बरामदगी का तस्करा सीडी के उक्त पर्चे में किया गया। दिनांक 04.10.2023 को सीडी का पर्चा नं. 3 किता किया गया, जिसमें संलग्न सीडी व मोबाईल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने हेतु जीडी खुलासे के संबंध में रपट नं. 52 के संबंध में किता किया गया। दिनांक 05.10.2023 को सीडी का पर्चा नं. 4 किता किया गया, जिसमें पीड़िता पीडिता के न्यायालय में बयान 164 दर्ज कराये गये, जिनका अवलोकन किया गया व तस्करा उक्त पर्चे में मेरे द्वारा किया गया। दिनांक 10.10.2023 को मेरे द्वारा सीडी का पर्चा नं. 5 किता किया गया, जिसमें मेरे द्वारा अभियुक्त अनुपम का न्यायालय से प्राप्त रोबकार सरेन्डर, नकल कर सीडी में संलग्न किया गया। अभियुक्त ने दिनांक 04.10.2023 को न्यायालय ए.सी.जे/जू.डी. द्वितीय, सहारनपुर के समक्ष अपने अधिवक्ता के माध्यम से आत्मसमर्पण किया, जिसके उपरान्त न्यायालय में अंतर्गत धारा 167 सी.आर.पी.सी. का रिमाण्ड कर अभियुक्त अनुपम को जिला कारागार भेजा गया। दिनांक 11.10.2023 को मेरे द्वारा सीडी का पर्चा नं. 6 किता किया गया, जिसमें मेरे द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अभियुक्त अनुपम का डी.एन.ए. परीक्षण कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर संज्ञान लेकर न्यायालय ने अभियुक्त अनुपम को न्यायालय में तलब करने हेतु दिनांक 13.10.2023 नियत की गयी। दिनांक 13.10.2023 को सीडी का पर्चा नं. 7 किता किया गया। अभियुक्त अनुपम का डी.एन.ए. परीक्षण कराने हेतु अनुमति का अवलोकन उक्त पर्चे में किया गया। उक्त पर्चा मेरे लखनऊ होने के कारण एस.एस.आई. मनोज कुमार द्वारा किता किया

गया। दिनांक 16.10.2023 को मेरे द्वारा सीडी का पर्चा नं. 8 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त अनुपम के डी.एन.ए. सैम्पल की कार्यवाही की गयी और डी.एन.ए. सैम्पल एक बंद डब्बे में लेकर सील सर्वे मौहर कर मेरी सुपुर्दगी में दिया गया। इसके पश्चात मेरे द्वारा अभियुक्त अनुपम के बयान दर्ज किये गये और वापस थाने आकर डी.एन.ए. सैम्पल परीक्षण हेतु एच.एम. मौ० आबिद को लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला भिजवाने की हिदायत दी गयी। दिनांक 17.10.2023 को सीडी का पर्चा नं. 9 अभियुक्त के रिमाण्ड के संबंध में किता किया गया। दिनांक 18.10.2023 को सीडी का पर्चा नं. 10 किता किया गया, जिसमें पीड़िता पीडिता की सप्लीमेंट्री रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुई। सप्लीमेंट्री रिपोर्ट का अवलोकन कर पैथालोजी रिपोर्ट का अवलोकन कर सीडी के उक्त पर्चे में अंकित किये गये साथ ही एस.बी.डी. अस्पताल जाकर पीड़िता की मेडिकल करने वाले डाक्टर दीपिका सिंह व डी.एन.ए. सैम्पल लेने वाले डाक्टर अभ्युदय सिंह के बयान लेकर सीडी में अंकित किये फिर वापस थाने आकर थाने पर मौजूद गवाहान नौशाद अली पुत्र सलीम अहमद, गुलशाना पत्नी इकराम व मेडिकल कराने वाली महिला कांस्टेबल 292 मंजू राणा के बयान लिये गये व सीडी के उक्त पर्चे में अंकित किये गये। दिनांक 23.10.2023 को सीडी का पर्चा नं. 11 किता किया गया, जिसमें गवाह अंजेश पुत्र सुशील, सलेलता पत्नी सुशील के बयान अंकित किये। अभियुक्त के मोबाईल के बारे में जानकारी की गयी लेकिन मुफीद जानकारी प्राप्त नहीं हुई। दिनांक 26.10.2023 को सीडी का पर्चा न. 12 किता किया गया जिसमें मुकदमें से संबंधित माल मोबाईल/डी.एन.ए. को परीक्षण हेतु कांस्टेबल रोहित सैन को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा था जिसकी दो रिसीविंग प्राप्त हुई थी। जिनका तस्करा व कांस्टेबल रोहित सैन के बयान लेकर उक्त पर्चे में अंकित किये गये तथा उक्त दिनांक को ही पर्याप्त साक्षमय व सबूत के आधार पर अभियुक्त अनुपम पुत्र सुशील निवासी ग्राम सिम्भालकी शेख थाना जनकपुरी के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–168/2023, अंतर्गत धारा 376,328,386,323, 506 भा०दं०सं० 67 आई. टी. एक्ट में न्यायालय में प्रेषित किया। आरोप पत्र पत्रावली के कागज सं. 3क/1 ता 3क/3 मेरे सामने है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, शिनाख्त करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–11** डाला गया। दिनांक 26.10.2023 को मेरे द्वारा उक्त मुकदमें की विवेचना पूर्ण कर ली गयी थी।"

24. बचाव पक्ष की ओर से की गयी **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि "यह बात सही है कि इस मुकदमे से संबंधित माल मुकदमा मोबाईल था जो इस समय मेरे सामने न्यायालय में मौजूद नही है। मुझे इस मुकदमे की घटना की तारीख इस समय याद नही है। मुकदमा दर्ज होने की तारीख आज मेरे याद नही है, रिकार्ड देखकर बता सकता हूं। मुझे इस केस की विवेचना मुकदमा दर्ज होने के तुरन्त बाद मिल गई थी। मैने मुकदमा दर्ज होने के लगभग एक–दो दिन बाद पीडिता का बयान लिया था। मेरे द्वारा अभियुक्त अनुपम को गिरफ्तार नही किया गया था। उसने खुद ही न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। पीडिता को घटनास्थल याद नही था इसलिए नक्शा नही बनाया था। यह बात सही है कि मेरे द्वारा पीडिता का न्यायालय में बयान 164सी.आर.पी.सी. भी करवाया गया था। मैने पीडिता के बयान धारा 164सी.आर.पी.सी. का अवलोकन किया था। यह बात सही है कि बयान 164सी.आर.पी.सी. में पीडिता द्वारा अपने साथ उपरोक्त घटना किस स्थान पर हुई थी, यह नही कहा गया है। यह बात सही है कि पीडिता ने मुझे अपने बयान 161द.प्र.सं. में यह बताया था कि घटना के समय पीडिता अम्बाला की साईड किसी गांव में थी जहां पर घटना होना बताया गया। पीडिता द्वारा कोई विशेष स्थान न बताने के कारण मेरे द्वारा कथित घटना अम्बाला हरियाणा के किसी गांव में घटना के संबंध में कोई विवेचना नही की गई। पीडिता द्वारा पैसे मांगने के कथन के संबंध में कोई अभिलेख ना देने के कारण कोई साक्ष्य एकत्रित नही किया गया। यह बात सही है कि घटना के संबंध में वीडियो वायरल होने के कारण ही 67 आई.टी.एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। मुझे पीडिता के पति ने उपरोक्त वायरल वीडियो दिखाई थी। इस वीडियो में शरीर के नाभि से उपर का नम्न भाग था। इस वीडियो में पीडिता व अभियुक्त बस दोनो ही थे। दोनो के शरीर पर ही कपडे नही थे। यह बात सही है कि पीडिता व अभ्युिक्त के शरीर के नाभि के नीचे के शरीर के हिस्से की कोई वीडियो नही थी। उपरोक्त वीडियो मुझे पीडिता के पति ने उपलब्ध कराई थी। यह वीडियो इन्हीं के गांव के किसी व्यक्ति ने ही पीडिता के पति को भेजी थी, जिसका नाम पता पीडिता के पति ने नही बताया था। घटना के संबंध में उपलब्ध

वीडियो के किस व्हाटसप नम्बर से आई थी, नही बताया था। घटना के संबंध में उपलब्ध वीडियो के किस व्हाटसेप नम्बर से आई थी, नही पता। यह बात सही है कि ना ही मेरे द्वारा विवेचना में यह जानने का प्रयास किया कि किस नम्बर से पीडिता के पति पर कथित वीडियो आई थी। मैं यह भी नही बता सकता कि वीडियो पीडिता के पति के पास किस तारीख में किसके द्वारा भेजी गई है। यह बात भी सही है कि मुझे दौराने विवेचना यह भी नही पता चला कि अभियुक्त अनुपम द्वारा यह वीडियो पीडिता के पति को भेजी गई है या नही। कथित वीडियो बरामदशुदा मोबाईल से नही बनाई गयी है। वह किसी के द्वारा भेजी गई है। यह बात सही है कि कथित घटना में दर्शित वीडियो के संबंध में मेरे द्वारा कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नही किया गया है। मेरे द्वारा इस घटना के संबंध में पीडिता का मैडिकल भी करवाया गया था। मैने थाने में ही पीडिता का धारा 161द.प्र.सं. का बयान लिया था। उस समय उसके साथ उसका पति व एक–दो ओर भी लोग थे। बयान धारा 164सी.आर.पी.सी. दर्ज कराते समय पीडिता के साथ और कोई नही आया था। उपरोक्त मुकदमें की घटना के संबंध में मेरे द्वारा पीडिता के अलावा जनता गवाहान पीडिता का पति, नौशाद व गुलशाना के बयान दर्ज किये गये थे। इन गवाहो के बयान भी मैने थाने पर ही लिये थे। इसके अलावा मैने जनता के गवाहान में अभियुक्त अनुपम की मां व भाई के बयान भी लिये थे। यह बात सही है कि इस मुकदमे का आरोप पत्र मेरे द्वारा ही न्यायालय में प्रेषित किया है। उपरोक्त मुकदमे के संबंध में मैने कई गवाहो के बयान दर्ज किये थे, जिनमें अन्जेस, सलेलता, नौशाद, पति, गुलशाना, पीडिता आदि थे। मैने इन समस्त गवाहान के बयान सीडी में दर्ज किये है। उपरोक्त मुकदमे में जो मोबाईल वीडियो के संबंध में माल मुकदमा बनाया गया वह अनुपम से बरामद नही हुआ। यह मोबाईल पीडिता के पति ने अपना मोबाईल उपलब्ध कराया था, जिसमें उक्त मुकदमे से संबंधित वीडियो मौजूद थी। यह मोबाईल पीडिता के पति का ही था। मोबाईल पीडिता के पति का होने के संबंध में मैने कोई दस्तावेज नही लिया गया। चूंकि पीडिता के पति के पास मोबाईल से संबंधित कोई भी दस्तावेज नही थे। उक्त मोबाईल के संबंध में पति ने मुझे कुछ नही बताया था न मैने मोबाईल के संबंध में कोई जांच की। यह कहना गलत है कि घटना से संबंधित मोबाईल पीडिता के पति का हो और जानबूझकर मेरे द्वारा उपरोक्त मुकदमे में माल मुकदमा बनाया हो। उपरोक्त मुकदमे में वीडियो जो माल मुकदमा मोबाईल में है वह वीडियो गांव के कुछ लोगो ने देखी थी लेकिन उन्होंन किसी को कुछ बताया नही था। जिन लोगो ने वीडियो देखी थी उनके बयान मैने विवेचना के दौरान लिये थे या नही मुझे आज याद नही। अभियुक्त अनुपम ने न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। दौरान विवेचना मुझे यह जानकारी हो गई थी कि अनुपम मोबाईल रखता था। अनुपम बडा इन्टरनेट वाला मोबाईल रखता था। मैं दौरान विवेचना अभियुक्त अनुपम का मोबाईल उपलब्ध नही हो सका था क्योंकि उसने मोबाईल तोडकर फेकने वाली बात मुझे अनुपम के भाई व मां ने बताई थी। मैने अनुपम की माता व भाई का बयान केस डायरी में अंकित किया था। मोबाईल तोडकर फेकने वाली बात मैने इनके बयानो में लिख दी थी। मोबाईल तोडकर कहां फेका था जगह मुझे आज याद नही। मैने मोबाईल तोडने वाली जगह के बाबत मुलजिम से पूछताछ की थी। उसने जगह नही बताई थी। पीडिता के पति द्वारा जो मुझे बयान दिया था वह पीडिता के द्वारा दर्शाय गयी घटना के समर्थन में दिया था। घटना के संबंध में पीडिता द्वारा जो वीडियो अनुपम के पास होना बताया गया था वह वीडियो पीडिता के पति के मोबाईल पर थी जो उसने दिखाई थी। इस वीडियो में अभियुक्त अनुपम व पीडिता के अलावा कोई ओर नही था। वीडियो में जो क्रिया मेरे द्वारा देखी गई वीडियो में जो किया मेरे द्वारा देखी गई, वह जबरदस्ती क्रिया की जा रही थी। पीडिता अपने आप को असहज महसूस कर रही थी। जबरदस्ती वीडियो में शोर चिल्लाहट नही था। वीडियो कितने समय की थी मैं एक्यूरेट टाईम नही बता सकता। एक मिनट की, आधे घंटे की थी या एक घंटे की थी। पत्रावली पर संलग्न फर्द प्रदर्श क–10 मेरे द्वारा तैयार की गई जो मेरे हस्तलेख में है। यह बात सही है कि वीडियो की जांच कराने हेतु मोबाईल को कब्जे में लिया गया था। मेरे द्वारा वीडियो/मोबाईल जांच के लिये भेजी गयी थी। दौरान विवेचना विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा कोई रिपोर्ट वापस नही मिला था। उसके बाद मुझे आज तक याद नही है कि उसके संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट आई है या नही। विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने में संबंध में प्रपत्र तैयार किया था। पीडिता का मैडिकल बाहरी परीक्षण किया

गया था। आन्तरिक परीक्षण करने से उसने मना कर दिया था। कोल्डड्रिंक से संबंधित नशीले पदार्थ के संबंध में पीडिता का अलग से मैडिकल नही कराया गया। चूंकि घटना दो महने पहले की थी। यह बात स्पष्ट है कि आरोप पत्र धारा 328 भा0द0सं0 भी प्रेषित किया गया है। यह बात सही है कि धारा 328 भा0 विषैला पदार्थ के संबंध में है। यह बात सही है कि पीडिता ने नशीला या विषैला पदार्थ खाने पीने के संबंध में किसी भी डक्टर का मैडिकल या रिपोर्ट या अभिमत पूरी दौरान विवेचना मेरे पास उपलब्ध नही था। पीडिता घटना के बाद मुझे लगभग एक डेढ महीने बाद मिली थी। जिस समय पीडिता मुझे मिली थी वह पूरे होशो हवास में थी। कोई नशे में नही थी। मेरे द्वारा जो आरोप पत्र जो धारा 328 भा0द0सं0 के संबंध में दिया गया वह मेरे द्वारा एक डेढ महीने पूर्व की घटना के संबंध में पीडिता के बयान के आधार पर न्यायालय में प्रेषित किया गया है। यह बात सही है कि उपरोक्त मुकदमा घटना के एक डेढ माह बाद दर्ज हुआ। पीडता जब पहली बार उपरोक्त मुकदमें के संबंध में मिली थी वह थाने पर मिली थी। थाना जनकपुरी के क्षेत्र में घटना होने की बात पीडता ने मुझे नही बताई। पीडिता को अम्बाला में किसी अन्यत्र जगह लेकर जाना बताया था। यह बात सही है कि उपरोक्त मुकदमे के संबंध में घटनास्थल का कोई नक्शा नजरी नही बनाया गया था। पीडिता को घटनास्थल याद नही होने के कारण मैने नक्शा नजरी नही बताया था। दौरान विवेचन मेरी जानकारी में यह बात आ गई थी कि मुलजिम अनुपम व पीडिता के पति का कुछ पैसो का लेन देन था परन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेज नही दे पाये। दौरान विवेचना सभी गवाहो ने मुझे यह बात बताई थी के नही मुलजिम अनुपम व पीडिता के पति का आपस में कुछ लेन देन था या नही। पत्रावली को देखकर बता सकता हूं। यह कहना गलत है कि पीडिता के साथ कोई घटना न घटित हुई हो और यह कहना भी गलत है कि घटना न घटित होने के कारण मेरे द्वारा घटनास्थल का नक्श नजरी न बनाया गया हो। यह कहना गलत है कि बिना पर्याप्त साक्ष्यो के उपरोक्त मुकदमे की सभी धाराओ में आरोप पत्र मनमाने ढंग से बिना किसी सबूत के आरोप पत्र पेश किया हो।"

25. अभियोजन **साक्षी पी0डब्लू0 5 कांस्टेबल 2052 रोहित** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान किया है कि "दिनांक 19.10.2023 को मुझे थाना हाजा के मु0अ0सं0 220/2023 अन्तर्गत धारा 376 भा0द0सं0 आदि बनाम अनुपम से संबंधित माल डीएनए परीक्षण, मोबाईल परीक्षण थाने से देकर भेजा गया था। मैं दिनांक 20.10.2023 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, निवाडी गाजियाबाद पहुंचा। माल व संबंधित कागजात एफएसएल के कार्यालय में दाखिल किये, जिसमें पीडिता के स्वेब दाखिल किये।"

26. बचाव पक्ष की ओर से की गयी **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि "मैं विधि विज्ञान प्रयोगशाला दिनांक 19.10.2023 में गया था। मैं अकेला ही गया था। मैं प्रयोगशाला पीडिता का स्वेब ब्लड की शीशी और मोबाईल लेकर गया था। मैं बॉक्स में उक्त सामान ले गया था। बॉक्स तीन थे। इन तीनो बॉक्स पर मु0अ0सं0 लिखा था। उस पर मेरे हस्ताक्षर नही थे। उस पर मुलजिम के पीडिता के व अन्य किसी के हस्ताक्षर नही थे। यह बात सही है कि उपरोक्त तीनो वस्तु मुलजिम से या पीडिता से मेरे सामने नही ली गई। इसी कारण मै। यह नही कह सकता कि यह मुलजिम या पीडिता की थी या किसी अन्य की थी। मुझे तो थाने से मिली थी। माल जमा करने के संबंध में मुझसे विवेचना अधिकारी ने पूछताछ की थी। यह पूछताछ मेरे से विवेचना अधिकारी ने माल जमा करने के लिये व उसके बाद माल जमा हो गया या नही, के संबंध में की थी। इसके अलावा अन्य कोई पूछताछ नही की थी। मुझे यह ध्यान नही है कि पीडिता व मुलजिम को मैने थाने पर या अन्य किसी जगह पर देखा या नही। यह कहना गलत है कि उपरोक्त तीनो नमूने पीडिता व अभियुक्त के ना हो और मैं जानबूझकर अपने अधिकारियो के कहने पर न्यायालय में झूठा बयान दे रहा हूं।

27. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त वर्णित पांच गवाह बतौर अभियोजन साक्षी प्रस्तुत कराये। बचाव पक्ष द्वारा उपरोक्त वर्णित समस्त साक्षीगण से प्रतिपरीक्षा की गयी, जिसके उपरान्त अभियोजन द्वारा अन्य कोई साक्षी प्रस्तुत नही कराया गया। न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित अभियोजन साक्षीगण के संबंध में अभियुक्त अनुपम का बयान अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. दिनांक 08.06.2026 को अंकित कराया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को झूठा एवं रंजिशन होना बताया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि पीडिता व उसके पति से अभियुक्त का पैसे के लेन देन को लेकर विवाद

हो गया था, जिस कारण उस पर झूठा केस लगवाया गया। उसने कोई अपराध नही किया। अभियुक्त द्वारा सफाई साक्ष्य देने का कथन किया गया है। अभियुक्त की ओर से साक्षी डी0डब्लू01 पीडिता का पति व साक्षी डी0डब्लू02 श्रीमती पिंकी को परीक्षित कराया गया हैं

28. अभियुक्त पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **डी0डब्लू01 पीडिता का पति** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि "मैं छजपुरा में 15–16 साल से किराये पर रहता था। मैं नौशाद के मकान में रहता था। मुलजिम अनुपम भी नीचे मकान में काम करता था। इसी कारण मेरी मुलजिम से जान पहचान हो गई थी। अनुपम व मेरा पैसे का लेन देन चलता रहता था। यह मुकदमा मेरी पत्नी पीडिता ने लिखवाया था। मुझे मेरी पत्नी पीडिता के साथ घटना कहा हुई मुझे जानकारी नही है न ही घटना के बारे में मुझे मेरी पत्नी पीडिता ने बताई। पुलिस ने मेरा मोबाईल लिया था। उस फोन में मैने कोई वीडियो नही देखी थी। फोन ज्यादातर घर पर रहता था। मैं काम पर रहता था। मैने मोबाईल पर जो कथित वीडियो दर्शायी है वह कहां से आई है वह मुझे नहीं पता। यह वीडियो उसी मोबाईल से बनाई जा सकती थी क्योंकि फोन घर पर ही रहता था। इस मुकदमे की घटना का मुकदमा दर्ज होने के आस पास उसकी तबीयत खराब नही थी वह स्वस्थ्य थी कोई नशे की हालत में या बदहवाश में नही थी। मेरी पत्नी इस मुकदमे की घटना के संबंध में घर से दो तीन दिन गायब रही थी क्योंकि मैं दिन में बाहर काम पर रहता था व रात को आता था। मेरी पत्नी से मुलजिम अनुपम ने कोई मांग नही की थी न ही मुझसे मांग की थी न ही मुलजिम द्वारा मांग करने के संबंध में मुझे कुछ बताया। पुलिस ने मेरा कोई बयान नही लिया था।"

29. अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि "अभियुक्त अनुपम मूल रूप से ग्राम संभालकी शेख का रहने वाला है। मैं अपनी पत्नी व बच्चो सहित नौशाद के मकान में किराये के मकान में रहते थे। मैं उपरी मंजिल में बने कमरे में रहता था। अनुपम नीचे यानि भूतल पर गुड शक्कर की पैकिंग का कार्य करता था। मैं मजदूरी करता हूं। मोबाईल सेमसंग का था जो घर पर रहता था। जब पुलिस ने मुझसे सेमसंग का मोबाईल कब्जे में लिया तो उस समय लिखा पढी हुई थी या नही मुझे नही पता। मैं अपने हस्ताक्षर करने जानता हूं। मैं सिर्फ थोडा बहुत पढ लेता हूं। गवाह को पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या प्रदर्श क–10 बाबत लेने कब्जे मोबाईल सेमसंग रंग गहरा हरा संबंधित मु0अ0सं0 220/2023 दिखाई गई, जिस पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की। मेरी पत्नी का नाम पीडिता है। पीडिता पढना लिखना व हस्ताक्षर करना नही जानती है। फर्द पर अंकित अंगूठा पीडिता का ही होगा उसने मेरे सामने नही लगाया। यह बात सही है कि मोबाईल पुलिस ने मेरे सामने ही कब्जे में लिया था। मुझे इस बात की जानकारी है कि अनुपम इस मुकदमें में जेल गया था। यह बात भी सही है कि अनुपम मेरी पत्नी पीडिता के साथ बलात्कार करने के मुकदमें में जेल गया था। मेरी पत्नी के साथ हुई घटना को लगभग 3–4 साल हो गये है। मेरे मोबाईल का नम्बर जो मैं इस समय प्रयोग कर रहा हूं उसका नम्बर 9760090607 है। घटना के दिनो भी ये मोबाईल नम्बर मेरे पास रहता था। मैं अपनी पत्नी के साथ अभियुक्त अनुपम के विरूद्ध थाने मुकदमा लिखाने नही गया था। अभियुक्त अनुपम के जेल जाने के बाद मुझे इस मुकदमे की जानकारी हुई थी। घटना के संबंध में मैं मुझे मेरी पत्नी पीडिता ने ही मुझे बताया था। मुझे इस बारे में जानकारी नही है ग्राम छजपुरा मेरे नाम वलदियत का कोई और व्यक्ति रहता है या नही। मेरा मूल गांव किशनपुरा घौलापरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर है। ग्राम धलपडा में पीडिता के पति के नाम का एक अन्य व्यक्ति पुत्र अब्दल गफूर रहता है। मे उक्त व्यक्ति की नाम व उम्र अन्दाजे से भी नही बता सकता। मुझे जानकरी नही है जो मैं अपने नाम व्यक्ति पीडता का पति होना बताता हूं वह शादीशुदा है या नही। मैं वर्ष 2006 से अपने गांव से बाहर रहात हूं। मेरी शादी गांव में ही हो गई थी। मुझे इस बात की जानकरी नही है कि मेरी शादी के समय मेरे नाम का व्यक्ति शादी शुदा था या नही। यह कहना गलत है कि मेरे मूल गांव किशनपुरा धलापडा में मेरे नाम वलदियत का कोई दुसरा व्यक्ति न हो और इसी वजह से मैं उसके विषय में जानकारी न दे पा रहा हूं। घटना के बारे में मुझे मेरी पत्नी पीडिता ने शाम के समय बताया था। मुझे बताने से पूर्व ही मेरी पत्नी ने थाने पर रिपोर्ट लिखा दी थी। मेरी पत्नी पीडिता का पुलिस ने मैडिकल कराया था। मुझे इस

बात की जानकारी है कि मेरी पत्नी पीडिता का मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान कराया था। मैं इस घटना के संबंध में पुलिस के बुलाने पर थाने गया था। मुझे ध्यान नही है कि थाने पर पुलिस ने मुझसे कोई पूछताछ की थी या नही। मैंने इस घटना के संबंध में जो आज बयान न्यायालय में दिया है कि''मेरी पत्नी पीडिता के साथ घटना कब हुई मुझे जानकारी नही है न ही घटना के बारे में मुझे बताया।'' उक्त बात मैने आज न्यायालय में पहली बार बताई है। इस संबंध में मैने न तो कोई प्रार्थना पत्र थाने पर दिया न किसी आला पुलिस अधिकारी को दिया। मैने आज अपनी मुख्य परीक्षा में यह बात कि''उस फोन में मैने कोई वीडियो नही देखी थी, के संबंध में भी मैने न तो थाने पर न ही किसी पुलिस आला अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखकर दिया। यह बात सही है कि मैं दिन में मजदूरी करने के बाद शाम को अपने बीबी बच्चो के पास आ जाता था।'' अनुपम से मेरा पैसे का लेन देन था जो जब से मैं रहता था तब से था। जरूरत के हिसाब से कभी बीस हजार, कभी दस हजार रूपये का लेन देन होता था। मुझे नही पता जहां वह काम करता था अनुपम की कितनी तनख्वाह थी। अभियुक्त अनुपम का गुड शक्कर का काम था। गुड शक्कर अनुपम कहां से लाता था उसे नही पता था। अनुपम गुड व शक्कर के पैकेटो को बाहर ले जाकर बेचता था। अनुपम शादी शुदा था। बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि ''मैं महीने का कितनी इनकम थी। मुझे अनुपम से मेरी कभी–कभाक फोन से बात होती रहती थी। मुझे नही बताता था कि मेरी महीने की कितनी इनकम थी। मुझे इस बात की जानकरी नही है कि अभियुक्त अनुपम गुड शक्कर का कोई हिसाब रखता था या नही। यह बात सही है कि अभियुक्त अनुपम का गुड शक्कर का व्यापार का काम नही था। गुड शक्कर का व्यापार किसी ओर व्यक्ति का था जिसके यहां अनुपम मजदूरी करता था। मेरा अभियुक्त अनुपम के साथ लेन देन की कोई लिखा पढी नही होती थी। अभियुक्त मुझसे ब्याज नही लेता था। यह कहना गलत है कि मेरा मुलजिम अनुपम के साथ कभी कोई लेन देन न रहा हो। कभी–कभी अभियुक्त अनुपम मुझसे पैसे उधार लेता था। मेरे ध्यान नही है कि घटना की दिनांक को मैं रात्रि में घर पर आया था या नही। यह कहना गलत है कि मैने पुलिस को अपने बयान में सच व सही बात बताई हो कि'' मैं ग्राम छजपुरा में 15–16 वर्षो... मेरी पत्नी पीडिता ने थाने पर मुकदमा लिखाया था'' और इसीलिए पुलिस ने मेरे बयान 161द.प्र.सं. में सभी बात मेरे बताये अनुसार सही लिखी हो। यह कहना गलत है कि मैं पुलिस को न देने वाली बात कानूनी मश्वरे से गलत व झूठ कही हो। यह कहना भी गलत है कि मैने अपनी मुख्य परीक्षा में गलत व झूठ कहा हो।

30. अभियुक्त पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **डी0डब्लू02 पिंकी** पत्नी बृजेश ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि ''मुलजिम अनुपम मेरा भाई है। पिछले काफी समय से ग्राम छजपुरा में रहकर गुड–शक्कर पैकिंग का कार्य करता था, जिस मकान में वादिया पीडिता रहती थी उसी मकान में मेरा भाई अनुपम रहकर पैकिंग का कार्य करता था। उस मकान में मेरे भाई का पार्टनर भी काम करता था। उपरोक्त मुकदमे की वादिया पीडिता व पीडिता का पति भी उसके मकान में रहता था। मुलजिम व वादिया पीडिता के पति का आपस में उठना बैठना व लेन देन था। इस लेन देन व उठने बैठने की जानकारी मुझे थी और लेन देन के संबंध में मुलजिम व वादिया के पति के साथ विवाद हो गया था। इसी विवाद के कारण पीडिता ने अनुपम के विरूद्ध केस दाखिल किया। इस केस के संबंध में मैने मोबाईल में कुछ नही देखा ना ही कोई वीडियो वायरल होने के संबंध में किसी व्यक्ति से कुछ सुना था। मेरा भाई अनुपम सुबह काम पर जाकर शाम को समय से अपने घर पर आ जाता था, जिस मकान में मुलजिम अनुपम व वादिया पीडिता व उसके पति जिस मकान में रहकर काम करते थे वह मकान नौशाद का था।

31. अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि **''**मैं अनपढ हूं। पढी लिखी नही हूं। मेरा भाई गुड–शक्कर का व्यापार करता था। मेरे भाई के पास जी.एस.टी. /सी.एस.टी. नम्बर थे या नही मुझे नहीं पता, जिस व्यक्ति के साथ मेरा भाई पार्टनर था उस व्यक्ति का नाम पता मुझे नही पता। मेरे भाई व उस अज्ञात व्यक्ति के पार्टनरशिप के संबंध में कोई कागज था अथवा नही मुझे नहीं पता। मेरे भाई अनुपम व पीडिता का पति के बीच करीब सात–आठ साल से उठना बैठना व लेन–देन था। यह लेन–देन पैसों का था। दोनो एक दुसरे को एक–दो हजार लेते देते थे। यह लेन–देन दोनो के बीच कितनी बार हुआ यह मुझे नही पता। हजार–पन्द्रह सौ के बीच का आपस में दोनो

के बीच रहता था। मेरे भाई कभी–कभी अपने लेन–देन के बारे में जब मेरे भाई अनुपम व पीडता का पति के बीच विवाद हुआ तो मेरे भाई अनुपम ने पीडता का पति के विरूद्ध कोई ना तो तहरीर दी और ना ही कोई मुकदमा लिखवाया। यह बात सही है कि मेरा भाई अनुपम पीडिता द्वारा लिखाये गये बलात्कार के मुकदमें में जेल गया था। मैं कोई फोन नही रखती और ना ही मैं फोन चलाती। कभी–कभी अपने पति बृजेश का फोन इस्तेमाल करती हूं। मेरा भाई सुबह करीब आठ–नौ बजे काम पर चला जाता था और शाम को छः–सात बजे गांव संभालकी आ जाता था। मेरी शादी 2011 में हो गयी थी। शादी के बाद से मैं अपनी ससुराल नंदपुर में रह रही। नंदपुर और संभालकी के बीच में कितनी दूरी है, मुझे नही पता। करीब 30–35 किलोमीटर की दूरी नंदपुर और संभालकी के बीच है। अज खुद कहा मुझे नही पता। मेरे दो बच्चे है। लडकी दस साल की व लडका तीन साल का है। यह कहना सही है कि जब मैं दूसरी बार गर्भवती थी तब मैं ससुराल में थी और मुझे एक लडका पैदा हुआ था, जिसकी उम्र तीन वर्ष है। मैं पीडिता व पीडिता का पति का जो मूल निवास XXXX में है वहां मैं कभी नही गयी। जब मेरा भाई पीडिता के केस में जेल गया तब मैंने पीडिता व उसके पति के खिलाफ कोई लिखित तहरीर थाने या एस0एस0पी0 को नही दी थी। पुलिस को मौखिक बताया था।"

32. अभियोजन की तरफ से विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) **श्री सतीश कुमार सैनी** एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता **श्री मौहम्मद आलमगीर** को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

33. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक विलम्ब से विचार विमर्श के उपरान्त पंजीकृत करायी गयी है, जिसका समुचित कारण अभियोजन द्वारा स्पष्ट नही किया गया है जो अभियोजन कथानक को संदेस्पद बनाता है।

विधि व्यवस्था–एप्रेन जोसेफ उर्फ करेंट कुन्ज कुन्जू एवं अन्य बनाम केरल राज्य ए.आई.आर. 1973 सुप्रीम कोर्ट 1, गनेश भावन पटेल एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य ए.आई.आर. 1979 सुप्रीम कोर्ट 135, मध्यप्रदेश राज्य बनाम कृपारन (2003) 12 एस.सी.सी. 675 तथा साहेब राव एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 2006 (9) एस. सी.सी. 794 में माननीय न्यायालय ने कहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुआ विलम्ब अभियोजन कथानक के प्रति संदेह उत्पन्न करने एवं नकारने का आधार नहीं हो सकता यदि विलम्ब को समुचित ढंग से स्पष्ट किया गया है तो, लेकिन यदि विलम्ब को स्पष्ट नहीं किया गया है तो उसका प्रभाव प्रत्येक मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर आधारित होगा, परन्तु यह एक मात्र आधार अभियोजन कथानक पर अविश्वास करने का नहीं हो सकता।

34. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **विधि व्यवस्था– रामजी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2019 (4) काइम्स 585, भगवान मारकन्ड बनाम महाराष्ट्र राज्य (2016) 10 एस.सी.सी. 537, मध्यप्रदेश राज्य बनाम चकाई लाल ए0आई0आर0 2019 सुप्रीम कोर्ट 381** तथा **अमीश देवगन बनाम भारत संघ (2021) 1 एस0सी0सी0 1** में कहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट ज्ञानकोष नहीं है और उसमें सभी विशिष्ट एवं सूक्ष्म तथ्यों का समावेषण आवश्यक नहीं है। विधि व्यवस्था– **अनिल राय बनाम बिहार राज्य 2001 (3) इलाहाबाद क्रिमिनल रूलिंग 2046** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि धारा 154 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्राथमिकी में घटना का विस्तृत विवरण दिया जाना अपेक्षित नहीं है इसका उद्देश्य आपराधिक विधि की कार्यवाही को गतिमान किया जाना है। प्रथम सूचना रिपोर्ट इन्साइकिलोपीडिया नहीं होती है, जिसमें घटना के विस्तृत विवरण का उल्लेख किया जाय। प्राथमिकी में संज्ञेय अपराध के संक्षिप्त सार का उल्लेख मात्र पर्याप्त है। माननीय न्यायालय ने यह भी स्थापित किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तात्विक साक्ष्य नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में घटना की दिनांक 22.08.2023 को समय लगभग शाम 08:00 बजे की बतायी गयी है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 02.10.2023 को समय 12:43 बजे लिखायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के लगभग चालीस दिन बाद पंजीकृत करायी गयी है।

प्रश्न यह है कि क्या विलंब का समुचित स्पष्टीकरण अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत किया गया है ?

35. प्रस्तुत प्रकरण में तहरीर के अनुसार प्रार्थिया/वादिनी मुकदमा एक सीधी सादी अमन पंसद घरेलू व शादीशुदा महिला है, जो अपने पति व बच्चो के साथ ग्राम छज्जपुरा में रहकर अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही थी। प्रार्थिया/वादिनी मुकदमा के यहां विपक्षी का आना जाना हो गया था और

विपक्षी प्रार्थिया के यहां लगातार आने जाने का फायदा उठाकर प्रार्थिया को बहला फुसलाकर व जादू टोना व अपनी मीठी–मीठी बातो में लेकर प्रार्थिया को अपने विश्वास में ले लिया और प्रार्थिया के साथ झूठे प्रेम प्रसंग की बाते करने लगा व प्रार्थिया का मोबाईल नम्बर भी ले लिया। प्रार्थिया के साथ प्रेम प्रसंग की झूठी बाते करके लाखे रूपये प्रार्थिया से ऐंठ लिये और दिनांक 22.08.2023 की शाम के लगभग 08:00 बजे प्रार्थिया के पति की मर्जी के बिना प्रार्थिया को किसी अज्ञात स्थान पर लेकर चला गया और वहां पर प्रार्थिया की मर्जी के खिलाफ दो दिन तक कोल्डड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ पिलाकर लगातार बलात्कार करता रहा और नशे की हालत में होने के कारण प्रार्थिया की अश्लील वीडियो भी बना ली, जब प्रार्थिया को दो दिन बाद होश आया तो वहां से विपक्षी गायब हो गया था। प्रार्थिया बामुश्किल किसी तरह वहां से अपने घर आयी और सारा वाका अपने पति को बताया, लेकिन प्रार्थिया व प्रार्थिया के पति ने इज्जत की खातिर इस बात को किसी को नही बताया व विपक्षी वीडियो के सहारे प्रार्थिया को ब्लैकमेल करता रहा एवं राणा स्टील से पहले सडक पर सरेआम प्रार्थिया का हाथ पकड लिया और प्रार्थिया को अपने साथ जबरन ले जाने लगा, जिस पर प्रार्थिया के पति ने विरोध किया तो विपक्षी ने प्रार्थिया के पति के साथ मारपीट की, जिससे प्रार्थिया के पति को काफी चोटे आयी। भीड इकट्ठा होने पर विपक्षी वहां से फरार हो गया लेकिन विपक्षी पर प्रार्थिया की अश्लील वीडियो है, जिनसे विपक्षी प्रार्थिया व प्रार्थिया के पति को लगतार ब्लैकमेल कर उक्त वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा है। विपक्षी ने एक वीडियो प्रार्थिया के पति के मोबाईल नम्बर 9760090607 पर भी भेजी है व अश्लील वीडियो के माध्यम से प्रार्थिया व प्रार्थिया के पति से एक लाख रूपये की डिमांड व प्रार्थिया से गलत संबंध बनाने के लिए कह रहा है और तब उक्त अश्लील वीडियो को डिलिट करने की बात कर रहा है। विपक्षी प्रार्थिया को उपरोक्त बाते ना मानने पर प्रार्थिया के परिवार को फोन पर लगातार जान से मारने की धमकी व वीडियो वायरल करके प्रार्थिया व उसके परिवार की इज्जत को नीलाम करने की धमकी दे रहा है। प्रार्थिया व प्रार्थिया का परिवार उपरोक्त घटना के बाद से काफी सदमें में है तथा भयभीत है।

36. साक्षी संख्या–1 वादी मुकदमा पीडिता ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ''दिनांक 22.08.2023 को शाम के 08.00 बजे यह मुझे बहला–फुसलाकर राणा स्टील से मुझे ऑटो से सहारनपुर सिटी लेकर आया। वहां इसने मुझे कोल्डड्रिंक पिलाई, उसमें कुछ नशीला पदार्थ था जिससे मैं बदहवास हो गयी। वहां इसने मेरे साथ मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे बलात्कार किया और मेरी अश्लील वीडियो बनाई और वहां से गायब हो गया। मैं किसी तरह अपने घर आई और सारा वाकया अपने पति को बताया। मैंने व मेरे पति ने इज्जत की खातिर किसी को कुछ नहीं बताया। अनुपम वीडियो के सहारे मुझे ब्लैकमेल करता रहा। इसने राणा स्टील से पहले एक दिन मेरा सड़क पर सरेआम हाथ पकड़ लिया और मुझे जबरन ले जाने लगा, जिसका मेरे पति ने विरोध किया तो अनुपम ने मेरे पति के साथ मारपीट भी की, जिससे उसे गुम चोटें आयी। अनुपम मुझे लगातार ब्लैकमेल कर वीडियो को वायरल करने की धमकी देता था। इसने मुझे धमकी देकर मेरे से एक लाख रूपए भी ऐंठ लिए और इसके बाद वीडियों को मेरे पति के मोबाइल नंबर पर भेज दिया और इसके बाद भी वीडियो वायरल करने की ामकी देकर पैसो की मांग करता था व जान से मारने की धमकी देता था। अपने साथ हुई घटना की रिपोर्ट थाना जनकपुरी पर लिखवाई थी।'' साक्षी संख्या–1 ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसकी शादी को 15–16 साल हो गये है। उसके चार बच्चे है। वह अपने बच्चो व पति के साथ इकट्ठा ही रहती है। वे नौशाद के मकान पर 6–7 साल से रह रहे है। रिपोर्ट उसने थाने पर खुद लिखवाई थी। इस घटना के करीब एक माह बात उसने थाने पर तहरीर दी थी। जहां से उसे मुलजिम ने ऑटो में बैठाया था और जहां पर उसके साथ बलात्कार हुआ वह जगह उसने दरोगा जी को नही दिखाई थी। वह दिनांक 23.08. 2023 को अपने घर आ गई थी। उसने अपने पति को सारी बाते बता दी थी। थाने पर जब वह गई थी तो पुलिस ने उसका बयान लिया था। घटना के पन्द्रह दिन बाद मुलजिम ने वीडियो उसके पति के मोबाईल पर भेजी थी। वह वीडियो उसने पुलिस को दे दिया था। दिनांक 22.08.2023 से पहले उसके साथ कोई घटना अभियुक्त ने नही की, केवल बात चीत ही होती थी। साक्षी संख्या–3 कांस्टेबल कुलदीप सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 02.10.2023 को बतौर कांस्टेबल क्लर्क थाना

जनकपुरी पर तैनात था। उक्त दिनांक को वादिया पीडिता की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 220/2023 धार 376,328,386,323,506 भा0द0सं0 व धारा 67 आई.टी.एक्ट की चिक उसके द्वारा किता की गयी थी जो पत्रावली पर उसके सामने है, जिसे साक्षी द्वारा प्रदर्श क–6 के रूप में साबित किया गया है। साक्षी ने अपने बयान की प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि इस मुकदमे की एफ.आई.आर. दिनांक 02.10.2023 को उसके द्वारा लिखी गई जो दिनांक 20.08.2023 की घटना की बाबत लिखी थी। उपरोक्त मुकदमे की जीडी भी दिनांक 02.10.2023 को ही काट दी थी। संलग्न तहरीर वही तहरीर है जिसके आधार पर मुकदमा कायम किया था। यह बात सही है कि तहरीर पर अंगूठा लगा है। यह तहरीर देने थाने पर पीडिता व उसका पति आया था। साक्षी डी0डब्लू0–1 पीडिता का पति ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि यह मुकदमा उसकी पत्नी पीडिता ने लिखवाया था। इस मुकदमे की घटना का मुकदमा दर्ज होने के आस पास पीडिता की तबीयत खराब नही थी वह स्वस्थ्य थी। कोई नशे की हालत में या बदहवाश नही थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि वह अपनी पत्नी पीडिता के साथ थाने पर मुकदमा लिखाने नही गया था। अभियुक्त अनुपम के जेल जाने के बाद उसे इस मुकदमे की जानकारी हुई थी। घटना के संबंध में उसे उसकी पत्नी पीडिता ने बताया था। उसकी पत्नी पीडिता के साथ घटना कब हुई उसे जानकारी नही है, न ही घटना के बारे में उसे बताया।

37. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में तहरीर अनुसार घटना दिनांक 22.08.2023 की शाम लगभग आठ बजे की दर्शायी गयी है, परन्तु वादिया द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 02.10.2023 को अर्थात कथित बलात्कार की घटना से लगभग चालीस दिन बाद लिखाई गयी है। इस संबंध में अभियोजन द्वारा कोई स्पष्टीकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया कि जब घटना दिनांक 22.08.2023 को घटित हुई एवं इस संबंध में वादिया द्वारा अपने पति को घटना के तुरन्त बाद बता दिया था तो फिर वादिया द्वारा थाने पर तहरीर देने में चालीस दिन का विलम्ब क्यों कारित किया गया। वादिया द्वारा अपनी तहरीर में यह कथन किया गया कि अभियुक्त उसको अश्लील वीडियो के सहारे ब्लेकमेल किया करता था एवं पीडिता का हाथ सरेआम राणा स्टील से पहले से पहले सडक पर पकड लिया था और विरोध करने पर पीडिता के पति के साथ मारपीट की गयी थी, जिसमें पीडिता के पति को काफी चोट आयी थी। परन्तु अपनी तहरीर में पीडिता द्वारा इस घटना के संबंध में कोई तिथि उल्लेखित नही की गयी है। साथ ही अभियोजन द्वारा यह भी स्पष्ट नही किया गया कि अभियुक्त पीडिता को कब से ब्लैकमेल करता चला आ रहा था व तब अभियुक्त द्वारा पीडिता का सरेआम हाथ पकडा गया व उसके पति की पिटाई की गयी। पीडिता द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वयं यह कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा घटना से पन्द्रह दिन बाद मुलजिम ने वीडियो उसके पति के मोबाईल पर भेजी थी। यदि यह सच है तो इस संबंध में अभियोजन द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया है कि अश्लील वीडियो पाते ही अर्थात घटना के पन्द्रह दिन बाद ही पीडिता द्वारा अभियुक्त के खिलाफ थाने में शिकायत क्यों नही की गयी। पीडिता द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त अनुपम उसे लगातार ब्लैकमेल कर वीडियो वारयल करने की धमकी देता था। परन्तु अभियोजन द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया कि यदि अभियुक्त पीडिता को लगातार ब्लैकमेल करता चला आ रहा था तो उसके बाद भी पीडिता द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध शिकायत क्यों नही की गयी। पीडिता के बयान धारा 164सी.आर.पी.सी. में भी पीडिता द्वारा नग्न वीडियो वायरल करने की एवं एक लाख रूपये मांग करने के संबंध में पीडिता द्वारा कोई दिनांक उल्लेखित नही की गयी। पीडिता के द्वारा मात्र यह कथन कर देना कि वह घटना के बाद भयभीत हो गयी थी, जिस कारण उसके व उसके पति द्वारा कोई एफ.आई.आर. दर्ज नही करायी गयी, विश्वसनीय प्रतीत नही होता है एवं पीडिता के नैर्सगिक आचरण को दर्शित नही करता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय यह पाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में पीडिता द्वारा तहरीर अत्यधिक विलम्ब से दी गयी है, जिसका कोई सन्तोषजनक स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा नही दिया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत बचाव पक्ष द्वारा दिये गये तर्क में बल प्रतीत होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक विलम्ब से विचार विमर्श के उपरान्त दर्ज करायी गयी है, जिसका समुचित कारण अभियोजन द्वारा स्पष्ट नही किया गया है जो अभियोजन कथानक को संदेस्पद बनाता है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना त्रुटिपूर्ण है तथा घटनास्थल तथ्य के साक्षीगण द्वारा भली–भांति प्रमाणित नहीं है।

38. विधि व्यवस्था–**खेमराम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2018) 15 एस.सी.सी. 202, रूपेन्दर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2018) 16 एस.सी.सी. 475** तथा **योगेश सिंह बनाम महावीर सिंह 2016 (97) ए.सी.सी. 993 सु.को.** में माननीय न्यायालय ने कहा है कि–विवेचक के कमियों का लाभ बचावपक्ष को प्राप्त नही हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधि व्यवस्था–**रामगुलाम चौधरी बनाम बिहार राज्य 2001 (2) जे. आई.सी. 986 सुप्रीम कोर्ट** में कहा है कि यदि घटनास्थल अन्य तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य से साबित होता है तो नक्शा–नजरी का गलत बनाया जाना या त्रुटिपूर्ण होना कोई प्रभाव नहीं रखता है।

39. प्रस्तुत प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि साक्षी संख्या–4 विवेचक द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण की पीडिता को घटनास्थल याद नही था। इसलिए नक्शा नहीं बनाया गया। साथ ही उक्त साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया कि मैने पीडिता के बयान धारा 164सी. आर.पी.सी. का अवलोकन किया था। यह बात सही है कि बयान 164सी.आर.पी.सी. में पीडिता द्वारा अपने साथ उपरोक्त घटना किस स्थान पर हुई थी, यह नही कहा गया है। यह बात सही है कि पीडिता ने मुझे अपने बयान 161द.प्र.सं. में यह बताया था कि घटना के समय पीडिता अम्बाला की साईड किसी गांव में थी जहां पर घटना होना बताया गया। पीडिता द्वारा कोई विशेष स्थान न बताने के कारण मेरे द्वारा कथित घटना अम्बाला हरियाणा के किसी गांव में घटना के संबंध में कोई विवेचना नही की गई। अतः साक्षी संख्या–4 के बयान से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा घटना से संबंधित नक्शा नजरी नही बनाया गया, जिसका आधार उक्त साक्षी द्वारा यह बताया गया कि पीडिता को घटनास्थल याद नही था इसलिए नक्शा नहीं बनाया गया। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि उक्त साक्षी को दौरान विवेचना पीडिता द्वारा घटना अम्बाला के किसी गांव की होना बताया था व पीडिता द्वारा स्पष्ट स्थान नहीं बताया गया, जिस कारण उक्त साक्षी द्वारा कथित घटनास्थल के संबंध में कोई विवेचना नही की गयी। उक्त साक्षी द्वारा पीडिता व उसके पति के साथ हाथ पकडने व मारपीट करने वाली घटना के संबंध में भी कोई नक्शा नजरी तैयार नही किया गया और ना ही इसका उल्लेख अपने बयानो में किया गया और ना ही नक्शा नजरी पत्रावली पर दाखिल किया गया। पीडिता द्वारा अपनी तहरीर में घटनास्थल सहारनपुर में कोई अज्ञात स्थान बताया गया है। इसके अतिरिक्त पीडिता द्वारा अभियुक्त का उसका हाथ पकडने वाली घटना व पति को पीटने वाली घटना राणा स्टील से पहले सडक पर बताई गयी है। वहीं दुसरी ओर पीडिता द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया कि अभियुक्त दिनांक 22.08.2023 को शाम आठ बजे उसे बहला फुसलाकर राणा स्टील से ऑटो से सहारनपुर सिटी लेकर आया। जहां उसे कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया गया जिस कारण वह बदहवाश हो गयी। वहां अभियुक्त द्वारा पीडिता की मर्जी के खिलाफ उसके साथ बलात्कार किया गया व उसकी अश्लील वीडियो बनाई गयी। पीडता द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया कि घटना वाले दिन अभियुक्त द्वारा उसे राणा स्टील से ऑटो से सहारनपुर सिटी लेकर आया गया। उसे यह पता नही कि सहारनपुर सिटी में उसे मुलजिम द्वारा किस जगह लेकर आया गया था। पीडिता द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया गया कि सहारनपुर में घंटाघर पर पीडिता उतरी थी, जहां उतरी थी वहां बाजार था। कोल्डड्रिंक उसे अभियुक्त द्वारा ऑटो में ही पिला दिया गया था। वह ऑटो में ही बेहोश हो गयी थी। पीडिता द्वारा यह भी कथन किया गया कि उसे ध्यान नही कि वह सहारनपुर कितने बजे पहुंची एवं कब बेहोश हो गई। जब होश में आयी तो वह कमरे में थी। उसे यह नही पता यह कमरा सहारनपुर में था या गांव में था। पीडिता पीडिता बयान अनुसार उसको यह याद नही था कि वह अपने घर किस समय पर आई। पीडिता अनुसार वह सहारनपुर बस से आयी थी जो अम्बाला साईड से आयी थी। पीडिता अनुसार उसे उस बस में एक बुजुर्ग ने बैठाया था, जिसने उसे सौ रूपये दिये थे। पीडिता जंगल में थी। पीडिता द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया गया कि अम्बाला में वह जिस मकान में अम्बाला में रूकी थी, उसमें कोई अन्य व्यक्ति नही था। उस मकान के पास कोई रिहाईसी मकान नही था। मकान अकेला जंगल में था। जहां मुलजिम ने ऑटो में बैठाया था और जहां पीडिता के साथ बलात्कार हुआ था वह जगह उसके द्वारा

दरोगा जी को नही दिखाई गयी थी।

40. पीडिता एवं साक्षी संख्या–4 विवेचक के बयानो से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में घटनास्थल स्पष्ट तौर से साबित नही किया गया है। पीडिता द्वारा तहरीर में किये गये कथन एवं न्यायालय के समक्ष उसके बयानो में परस्पर विरोधाभास प्रतीत होता है। पीडिता द्वारा जहां एक तरफ घटना सहारनपुर सिटी की बताई जाती है वहीं दुसरी ओर अपनी प्रतिपरीक्षा में पीडिता द्वारा घटनास्थल अम्बाला के किसी गांव में स्थित एक मकान बताया जाता है। विवेचक द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में उसके द्वारा नक्शा नजरी इस कारण नही बनाया गया क्योंकि पीडिता को घटना वाली जगह याद नही थी। साथ ही विवेचक द्वारा यह भी कथन किया गया कि उसके द्वारा घटना के संबंध में अम्बाला, हरियाणा के किसी गांव के संबंध में कोई विवेचना नही की गयी, क्योंकि पीडिता द्वारा कोई विशेष स्थान नहीं बताया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय पाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में घ टनास्थल के संबंध में न तो पीडता द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया व ना ही इस संबंध में विवेचक द्वारा गम्भीरतापूर्वक समुचित विवेचना की गयी। पीडिता के बयान तहरीर एवं न्यायालय के समक्ष घटनास्थल के संबंध में दिये गये बयानो में गम्भीर विरोधाभास है, साथ ही विवेचक द्वारा भी इस संबंध में विवेचना त्रुटिपूर्ण की गयी है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना त्रुटिपूर्ण है तथा घटनास्थल तथ्य के अभियोजन द्वारा भली–भांति प्रमाणित नहीं है।

प्रस्तुत प्रकरण में बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क लिया गया है कि वर्तमान प्रकरण में बलात्कार, मारपीट एवं नशीला प्रदार्थ के संबंध में कोई मैडिकल प्रपत्र या वैज्ञानिक रिपोर्ट पत्रावली पर साबित नही कराई गयी है, जिससे प्रस्तुत प्रकरण अभियुक्त के विरूद्ध सन्देह से परे साबित किया जा सके।

41. प्रस्तुत प्रकरण में पीडिता की तहरीर अनुसार अभियुक्त पीडिता की मर्जी के खिलाफ दो दिन तक कोल्डड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ पिलाकर लगातार बलात्कार करता रहा और नशे की हालत होने के कारण पीडिता की अश्लील वीडियो भी बना ली, जब पीडिता को दो दिन बाद होश आया तो वहां से अभियुक्त गायब हो गया। साक्षी संख्या–1 पीडता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना वाले दिन अभियक्त उसे बहला फुसलाकर ऑटो से सहारनपुर सिटी ले आया, जहां कोल्डड्रिंक पिलाई उसमें नशीला पदार्थ था, जिससे पीडिता बदहवाश हो गयी। वहां अभियुक्त ने पीडिता के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ बलात्कार किया व अश्लील वीडियो बनाई। इसने राणा स्टील से पहले एक दिन मेरा सड़क पर सरेआम हाथ पकड़ लिया और मुझे जबरन ले जाने लगा, जिसका मेरे पति ने विरोध किया तो अनुपम ने मेरे पति के साथ मारपीट भी की, जिससे उसे गुम चोटें आयी। उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा उसे कोल्डड्रिंक सहारनपुर ऑटो में पिलाई गयी। पीडिता ऑटो में बेहोश हो गई थी। उसे सुबह होश आया, जब होश आया तो वह कमरे में अकेली थी, जिसके बाद वह अपने घर आ गई। साक्षी संख्या–2 डा0 दीपिका सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 03.10.2023 को मैं बतौर ई०एम०ओ० जिला महिला अस्पताल सहारनपुर पर तैनात थी। उक्त दिनांक को मेरे द्वारा पीड़िता उम्र लगभग 35 वर्ष निवासी XXXX जिसे महिला कांस्टेबल मन्जू राणा, थाना जनकपुरी लेकर आयी थी का चिकित्सीय परीक्षण मेरे द्वारा किया गया। पीड़िता का पहचान चिन्ह दाये गाल पर नाक के नीचे काला तिल था। पीड़िता का दाया व बाये हाथ का निशानी अंगूठा लगवाया गया। पीड़िता द्वारा बताया गया कि अनुपम के द्वारा लगभग 20 दिन पहले मुझे किसी अन्जान स्थान पर बातचीत के लिए बुलाया गया था। जहां उसने कोल्डड्रिंक में कुछ मिलाया जिसे पीने से मैं बेहोश हो गयी थी। अगली सुबह होश आने पर पता चला कि मेरा रेप हुआ है। और कमरे में सिर्फ अनुपम दिखा था।

मेरी अपमानजनक वीड़ियो बनाई गयी जिससे मुझे ब्लैकमेल किया गयी। पीड़िता अपने कपड़े बदल चुकी थी। और नहा चुकी थी। पीड़िता का जनरल फिजिकल एक्जामिनेशन सामान्य था। पीड़िता के शरीर पर कोई बाह्य चोट का निशान नहीं था। पीड़िता का हाइमन ओल्ड हील्ड एण्ड टोन पाया गया। कोई फ्रेश इंजरी नहीं पायी गयी। पीड़िता पूर्ण होशों हवास में थी। पीड़िता के आवश्यक सैम्पल पैथोलोजी लैब हेतु व एफ.एस.एल. हेतु लिये गये। पीड़िता का मेड़िकल 01.00 पी.एम. पर पूर्ण कर लिया गया। मेडिकल रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी।" उक्त साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि ''मैं वर्तमान में भी जिला महिला चिकित्सालय सहारनपुर में इएमओ के पद पर तैनात हूं। प्रदर्श क–3 मैडिकल रिपोर्ट मेरे हस्तलेख में है। पीडिता के बताये अनुसार ही मैने घटना के संबंध में पीडिता का बयान लिखा था। यह बात सही है कि घटनास्थल का कोई विवरण मेरी रिपोर्ट में नही है ना ही पीडिता ने मुझे घ टनास्थल का विवरण बताया था। पीडिता द्वारा घटना मैडिकल होने वाले दिन से बीस दिन पहले की बताई थी। वही मैने रिपोर्ट में अंकित की थी। मैडिकल परीक्षण में जो कोल्डड्रिंक रिपोर्ट के कालम नं0 15डी के कालम नं01 में Yes/unknown in cold drinks पीडिता के बताये अनुसार लिखा है। यह बात सही है कि पीडिता के अनुसार घटना के संबंध में यह प्रथम मैडिकल परीक्षण है। पीडिता के शरीर पर कोई ताजी या नई चोट नही थी। यह बात भी सही है कि पीडिता के कपडे मैडिकल वाले दिन घटना वाले नही थे। यह बात सही है कि मेरी राय में पीडिता के साथ पीडिता द्वारा बताई गई बलात्कार की घटना की पुष्टि निश्चित रूप से नही की जा सकती। एफएसएल की रिपोर्ट पत्रावली पर अभी फिलहाल उपलब्ध नही है। यह कहना गलत है कि मैने पीडिता से मिलकर गलत मैडिकल रिपोर्ट तैयार की हो।''

42. साक्षी संख्या–4 द्वारा मैडिकल एवं एफएसएल रिपोर्ट के बारे में कथन किया गया कि '' दिनांक 16.10.2023 को मेरे द्वारा सीडी का पर्चा नं. 8 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त अनुपम के डी.एन.ए. सैम्पल की कार्यवाही की गयी और डी.एन.ए. सैम्पल एक बंद डब्बे में लेकर सील सर्वे मौहर कर मेरी सुपुर्दगी में दिया गया। इसके पश्चात मेरे द्वारा अभियुक्त अनुपम के बयान दर्ज किये गये और वापस थाने आकर डी.एन.ए. सैम्पल परीक्षण हेतु एच.एम. मौ० आबिद को लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला भिजवाने की हिदायत दी गयी। दिनांक 17.10.2023 को सीडी का पर्चा नं. 9 अभियुक्त के रिमाण्ड के संबंध में किता किया गया। दिनांक 18.10.2023 को सीडी का पर्चा नं. 10 किता किया गया, जिसमें पीड़िता पीडिता की सप्लीमेंट्री रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुई। सप्लीमेंट्री रिपोर्ट का अवलोकन कर पैथालोजी रिपोर्ट का अवलोकन कर सीडी के उक्त पर्चे में अंकित किये गये साथ ही एस.बी.डी. अस्पताल जाकर पीड़िता की मेडिकल करने वाले डाक्टर दीपिका सिंह व डी.एन.ए. सैम्पल लेने वाले डाक्टर अभ्युदय सिंह के बयान लेकर सीडी में अंकित किये फिर वापस थाने आकर थाने पर मौजूद गवाहान नौशाद अली पुत्र सलीम अहमद, गुलशाना पत्नी इकराम व मेडिकल कराने वाली महिला कांस्टेबल 292 मंजू राणा के बयान लिये गये व सीडी के उक्त पर्चे में अंकित किये गये।'' उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि'' दौरान विवेचना विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा कोई रिपोर्ट वापस नही मिला था। उसके बाद मुझे आज तक याद नही है कि उसके संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट आई है या नही। विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने में संबंध में प्रपत्र तैयार किया था। पीडिता का मैडिकल बाहरी परीक्षण किया गया था।

आन्तरिक परीक्षण करने से उसने मना कर दिया था। कोल्डड्रिंक से संबंधित नशीले पदार्थ के संबंध में पीडिता का अलग से मैडिकल नही कराया गया। चूंकि घटना दो महने पहले की थी। यह बात स्पष्ट है कि आरोप पत्र धारा 328 भा0द0सं0 भी प्रेषित किया गया है। यह बात सही है कि धारा 328 भा0 विषैला पदार्थ के संबंध में है। यह बात सही है कि पीडिता ने नशीला या विषैला पदार्थ खाने पीने के संबंध में किसी भी डक्टर का मैडिकल या रिपोर्ट या अभिमत पूरी दौरान विवेचना मेरे पास उपलब्ध नही था। पीडिता घटना के बाद मुझे लगभग एक डेढ महीने बाद मिली थी। जिस समय पीडिता मुझे मिली थी वह पूरे होशो हवास में थी। कोई नशे में नही थी। मेरे द्वारा जो आरोप पत्र जो धारा 328 भा0द0सं0 के संबंध में दिया गया वह मेरे द्वारा एक डेढ महीने पूर्व की घटना के संबंध में पीडिता के बयान के आधार पर न्यायालय में प्रेषित किया गया है। यह बात सही है कि उपरोक्त मुकदमा घटना के एक डेढ माह बाद दर्ज हुआ।''

43. पत्रावली पर मौजूद मैडिकल प्रपत्र प्रदर्श क–3, 4 व 5 एवं साक्षी संख्या–2 के बयानो से प्रस्तुत प्रकरण में पीडिता के साथ किसी बलात्कार की घटना की पुष्टि नही होती है और ना ही पत्रावली पर मौजूद मैडिकल प्रपत्रो से पीडिता द्वारा कथित तौर पर नशीला पदार्थ पिलाये जाने के तथ्य की पुष्टि होती है। मैडिकल प्रपत्रो के परिशीलन से स्पष्ट है कि पीडिता के शरीर पर कोई ताजी व नई चोट नही थी व साक्षी संख्या–2 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि यह बात सही है कि मेरी राय में पीडिता के साथ पीडिता द्वारा बताई गयी बलात्कार की घटना की पुष्टि निश्चित रूप से नही की जा सकती। जहां एक ओर साक्षी संख्या–2 द्वारा यह कथन किया गया है कि पीडिता के शरीर पर कोई बाहरी चोट नही है। वहीं दुसरी ओर विवेचक साक्षी संख्या–4 द्वारा अपने बयान में यह कथन किया गया है कि आंत्रिक परीक्षण कराने के लिए पीडिता द्वारा मना कर दिया गया। साक्षी संख्या–2 के बयानो के परिशीलन से स्पष्ट है कि घटना के समय पीडिता के आवश्यक सेम्पल पैथोलोजी लैब हेतु व एफ.एसएल हेतु लिये थे। परन्तु साक्षी संख्या–2 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि एफएलएल की रिपोर्ट पत्रावली पर अभी फिलहाल उपलब्ध नही है। विवेचक द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि दौरान विवेचना विधि विज्ञान प्रयोगशाल की कोई रिपोर्ट उसको नही मिली। विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने के संबंध में प्रपत्र तैयार किये गये थे। कोल्डड्रिंक से संबंधित नशीले पदार्थ के संबंध में पीडिता का अलग से मैडिकल नही कराया गया था। साक्षी संख्या–5 द्वारा अपने बयान में यह कथन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित माल डीएनए परीक्षण मोबाईल परीक्षण इत्यादि विधि विज्ञान प्रयोगशाला निवाडी गाजियाबाद पहुंचाया परन्तु उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा गया कि उक्त सेम्पल उसके सामने नही लिये गये थे, जिस कारण वह यह नही बता सकता कि यह सेम्पल पीडिता, मुलजिम या अन्य किसी व्यक्ति के है।

44. उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय यह पाता है कि जो मैडिकल प्रपत्र अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष साबित कराये गये है, उससे पीडिता के साथ बलात्कार पीडिता व उसे पति के साथ मारपीट किये जाने व पीडिता को नशीला पदार्थ पिलाये जाने का तथ्य साबित नही होता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि डी0डब्लू01 पीडिता के पति द्वारा बयानो में यह कथन किया गया है

कि घटना के बाद जब पीडिता घर पर आई तो उसकी तबियत खराब नही थी या नशे की हालत में या बदहवाश नही थी। जहां एक ओर साक्षी संख्या–2 कथन अनुसार घटना से संबंधित पीडिता का डीएनए सेम्पल व एफएसएल के लिए सेम्पल लिया गया था वहीं दुसरी ओर अभियोजन द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की कोई आख्या पत्रावली पर साबित नही करायी गयी है, जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो सके कि प्रस्तुत प्रकरण में पीडिता को नशीला पदार्थ पिलाया गया हो एवं उसके साथ बलात्कार किया गया हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि तहरीर अनुसार पीडिता व उसे पति के साथ अभियुक्त द्वारा सरेआम सडक पर मारपीट की गयी, जिसका उल्लेख पीडिता द्वारा अपने बयानो में भी किया गया। परन्तु इस संबंध में पीडिता व उसके पति का मैडिकल नही कराया गया। विवेचक द्वारा भी अपने बयान में यह कथन किया गया है कि मारपीट की घटना का अलग से कोई मैडिकल नही हुआ था, जिस कारण अभियोजन कथानक की, अभियुक्त द्वारा पीडिता व उसके पति के साथ घटना के बाद मारपीट की गयी, सन्देहास्पद प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत बचाव पक्ष के तर्क में बल प्रतीत होता है कि वर्तमान प्रकरण में बलात्कार, मारपीट एवं नशीला प्रदार्थ के संबंध में कोई मैडिकल प्रपत्र या वैज्ञानिक रिपोर्ट पत्रावली पर साबित नही कराई गयी है, जिससे प्रस्तुत प्रकरण अभियुक्त के विरूद्ध सन्देह से परे साबित किया जा सके।

बचाव पक्ष का यह तर्क है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह तथ्य साबित करने में विफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा पीडिता को घोर उपहति के भय में डालकर उससे अवैध जबरन पैसे की वसूली की गयी।

45. प्रस्तुत प्रकरण में तहरीर अनुसार वादिनी मुकदमा एक सीधी सादी अमन पंसद घरेलू व शादीशुदा महिला है, जो अपने पति व बच्चो के साथ ग्राम छज्जपुरा में रहकर अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही थी। प्रार्थिया/वादिनी मुकदमा के यहां विपक्षी का आना जाना हो गया था और विपक्षी प्रार्थिया के यहां लगातार आने जाने का फायदा उठाकर प्रार्थिया को बहला फुसलाकर व जादू टोना व अपनी मीटी–मीटी बातो में लेकर प्रार्थिया को अपने विश्वास में ले लिया और प्रार्थिया के साथ झूठे प्रेम प्रसंग की बाते करने लगा व प्रार्थिया का मोबाईल नम्बर भी ले लिया। प्रार्थिया के साथ प्रेम प्रसंग की झूठी बाते करके लाखे रूपये प्रार्थिया से ऐंठ लिये और दिनांक 22.08.2023 की शाम के लगभग 08:00 बजे प्रार्थिया के पति की मर्जी के बिना प्रार्थिया को किसी अज्ञात स्थान पर लेकर चला गया और वहां पर प्रार्थिया की मर्जी के खिलाफ दो दिन तक कोल्डड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ पिलाकर लगातार बलात्कार करता रहा और नशे की हालत में होने के कारण प्रार्थिया की अश्लील वीडियो भी बना ली, जब प्रार्थिया को दो दिन बाद होश आया तो वहां से विपक्षी गायब हो गया था। विपक्षी ने एक वीडियो प्रार्थिया के पति के मोबाईल नम्बर 9760090607 पर भी भेजी है व अश्लील वीडियो के माध्यम से प्रार्थिया व प्रार्थिया के पति से एक लाख रूपये की डिमांड व प्रार्थिया से गलत संबंध बनाने के लिए कह रहा है और तब उक्त अश्लील वीडियो को डिलिट करने की बात कर रहा है। विपक्षी प्रार्थिया को उपरोक्त बाते ना मानने पर प्रार्थिया के परिवार को फोन पर लगातार जान से मारने की धमकी व वीडियो वायरल करके प्रार्थिया व उसके परिवार की इज्जत को नीलाम करने की धमकी दे रहा है। प्रार्थिया व प्रार्थिया का परिवार

उपरोक्त घटना के बाद से काफी सदमें में है तथा भयभीत है। साक्षी संख्या–1 पीडिता ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ''मैं अपने ग्राम छजपुरा में रहकर अपने पति और बच्चों के साथ जीवन यापन कर रही थी। हाजिर अदालत मुल्जिमान अनुपम जिस नौशाद के मकान में हम ऊपर किराये पर रहते थे उसी मकान में नीचे गुड शक्कर की पैकिंग करा काम करता था। मुल्जिम अनुपम ने मेरे साथ जान पहचान बढ़ाकर मुझसे मीठी–मीठी बाते करने लगा और मुझे बहला–फुसलाकर मुझसे मेरा मोबाइल नम्बर ले लिया और मुझे प्रेम प्रसंग में फंसाकर मुझसे पैसे ऐंठने लगा। अनुपम मुझे लगातार ब्लैकमेल कर वीडियो को वायरल करने की धमकी देता था। इसने मुझे धमकी देकर मेरे से एक लाख रूपए भी ऐंठ लिए और इसके बाद वीडियों को मेरे पति के मोबाइल नंबर पर भेज दिया और इसके बाद भी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसो की मांग करता था व जान से मारने की धमकी देता था। अपने साथ हुई घटना की रिपोर्ट थाना जनकपुरी पर लिखवाई थी।'' साक्षी संख्या–1 पीडिता ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि ''मेरी शादी को 15–16 साल हो गये है। मेरे चार बच्चे है। मैं अपने बच्चो व पति के साथ इकटठा ही रहती हूं। हम नौशाद के मकान पर 6–7 साल से रह रहे है। रिपोर्ट मैने थाने पर खुद लिखवाई थी। मैने अपनी तहरीर में यह बात लिखवा दी थी कि मैं नौशाद के मकान में किराये पर रहती हूं और यह बात भी उसी मकान में नीचे अनुपम गुड शक्कर की पैकिंग का काम करता था। वहीं पर मेरी उससे जान पहचान हुई। यह बात लिख दी थी। अगर मेरी तहरीर में उक्त बात नही है तो मैं इसकी वजह नही बता सकती हूं। मैने भी मुलजिम के साथ पन्द्रह दिन काम किया है। यह बात भी मैने पन्द्रह दिन मुलजिम के साथ काम किया था अपनी तहरीर में लिखवा दी थी। मेरे ध्यान नही है कि मैने यह बात कि वह मेरे लिये दो–तीन बार मिठाई लेकर आया। मैने मिठाई खाई। खाने के बाद उसके जाल में फंसती चली गई। हम दोनो के बीच में बाते होने लगी। मुकदमा लिखाने के बाद मेरा मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ था। मुझे ध्यान नही है कि मैने मजिस्ट्रेट को यह बात की मुलजिम मकान के नीचे गुड–शक्कर की पैकिंग का काम करता था मुलजिम अनुपम द्वारा मेरे साथ जान पहचान बढाकर मुझसे मीठी बाते करने लगा और मुझे प्रेम प्रसंग में फंसाकर मेरे से पेसे ऐठने लगा। उक्त बात बताई थी या नही। इस घटना के करीब एक माह बात मैने थाने पर तहरीर दी थी। मेरे पति रेहडा चलाते है। एक हजार या बारह सौ रूपये रोज की आमदनी है। मैने मुलजिम को एक साल तक लगातार थोडे–थोडे पैसे देती रही।

घटना से पहले जब तक अभियुक्त ने मेरे साथ कुछ नही किया था। तब से ही मेरे से पैसे मांगता था और मैं तब से ही पैसे दे रही थी। इस घटना से एक माह पहले से जब मैं उसके साथ काम करती थी तभी से मैं उसे पैसे देती थी हाथ उधार पैसे देती थी। फिर मुलजिम ने मेरे उधार के पैसे वापस नही किये। घटना के पन्द्रह दिन बाद मुलजिम ने वीडियो मेरे पति के मोबाईल पर भेजी थी। वह वीडियो मैने पुलिस को दे दिया था। दिनांक 22.08.2023 से पहले मेरे साथ कोई घटना अभियुक्त ने नही की, केवल बात चीत ही होती थी। इस घटना से पहले मैं कभी उसके साथ बाहर नही गई। मुलजिम गुड–शक्कर की पैकिंग पर मिलता था और घर भी आता–जाता रहता था। मुलजिम पानी वानी लेने आ जाता था। वैसे उसका मेरे यहां आना जाना नही था। मैने अपनी रिपोर्ट में यह लिखवाया था कि मुलजिम का मेरे घर आना जाना हो गया था और आने जाने के कारण मीठी–मीठी बाते करने लगा और प्रेम प्रसंग

की बाते करते हुए लाखो रूपये ऐंठ लिये। यह बात मैने सही लिखवाई थी। मैने अंदाजे से लाखो रूपये लिखवाये थे। प्रेम प्रसंग में मीठी–मीठी बाते बनाकर अभियुक्त ने मेरे से पैसे लिये थे।'' साक्षी संख्या–4 निरीक्षक संजय कुमार ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि पीडिता द्वारा पैसे मांगने के कथन के संबंध में कोई अभिलेख ना देने के कारण कोई साक्ष्य एकत्रित नही किया गया। दौरान विवेचन मेरी जानकारी में यह बात आ गई थी कि मुलजिम अनुपम व पीडिता के पति का कुछ पैसो का लेन देन था परन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेज नही दे पाये। दौरान विवेचना सभी गवाहो ने मुझे यह बात बताई थी के नही मुलजिम अनुपम व पीडिता के पति का आपस में कुछ लेन देन था या नही। पत्रावली को देखकर बता सकता हूं।

46. इस संबंध में साक्षी डी0डब्लू01 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया कि, मुलजिम अनुपम भी नीचे मकान में काम करता था। इसी कारण मेरी मुलजिम से जान पहचान हो गई थी। अनुपम व मेरा पैसे का लेन देन चलता रहता था। यह मुकदमा मेरी पत्नी पीडिता ने लिखवाया था। मुझे मेरी पत्नी पीडिता के साथ घटना कहा हुई मुझे जानकारी नही है न ही घटना के बारे में मुझे मेरी पत्नी पीडिता ने बताई।... मेरी पत्नी से मुलजिम अनुपम ने कोई मांग नही की थी न ही मुझसे मांग की थी न ही मुलजिम द्वारा मांग करने के संबंध में मुझे कुछ बताया। पुलिस ने मेरा कोई बयान नही लिया था। उक्त साक्षी द्वरा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि मेरा अभियुक्त अनुपम के साथ लेन देन की कोई लिखा पढी नही होती थी। अभियुक्त मुझसे ब्याज नही लेता था। यह कहना गलत है कि मेरा मुलजिम अनुपम के साथ कभी कोई लेन देन न रहा हो। कभी–कभी अभियुक्त अनुपम मुझसे पैसे उधार लेता था। मेरे ध्यान नही है कि घटना की दिनांक को मैं रात्रि में घर पर आया था या नही।

47. साक्षी संख्या डी0डब्लू02 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि ''मुलजिम अनुपम मेरा भाई है। पिछले काफी समय से ग्राम छजपुरा में रहकर गुड–शक्कर पैकिंग का कार्य करता था, जिस मकान में वादिया पीडिता रहती थी उसी मकान में मेरा भाई अनुपम रहकर पैकिंग का कार्य करता था। उस मकान में मेरे भाई का पार्टनर भी काम करता था। उपरोक्त मुकदमे की वादिया पीडिता व पीडिता का पति भी उसके मकान में रहता था। मुलजिम व वादिया पीडिता के पति का आपस में उठना बैठना व लेन देन था। इस लेन देन व उठने बैठने की जानकारी मुझे थी और लेन देन के संबंध में मुलजिम व वादिया के पति के साथ विवाद हो गया था। इसी विवाद के कारण पीडिता ने अनुपम के विरूद्ध केस दाखिल किया।'' उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि मेरे भाई अनुपम व पीडिता का पति के बीच करीब सात–आठ साल से उठना बैठना व लेन–देन था। यह लेन–देन पैसों का था। दोनो एक दुसरे को एक–दो हजार लेते देते थे। यह लेन–देन दोनो के बीच कितनी बार हुआ यह मुझे नही पता। हजार–पन्द्रह सौ के बीच का आपस में दोनो के बीच रहता था। मेरे भाई कभी–कभी अपने लेन–देन के बारे में जब मेरे भाई अनुपम व पीडता का पति के बीच विवाद हुआ तो मेरे भाई अनुपम ने पीडता का पति के विरूद्ध कोई ना तो तहरीर दी और ना ही कोई मुकदमा लिखवाया।

48. उपरोक्त वर्णित समस्त साक्षीगण के बयानो के परिशीलन उपरान्त यह न्यायालय यह पाता है कि पीडिता द्वारा अभियुक्त पर जो अवैध जबरन पैसे की वूसली के जो आरोप लगाये गये है उसके संबंध में

पत्रावली पर अभियोजन द्वारा समुचित साक्ष्य प्रस्तुत नही कराये गये है, जिससे यह साबित हो सके कि अभियुक्त द्वारा पीडिता को घोर उपहति के भय में डालकर अवैध रूप से पैसे की वसूली व मांग की गयी है। पीडिता द्वारा अपनी तहरीर व बयानो में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा उसे झूठी बातो में एवं प्रेम प्रसंग में फंसाकर एक लाख रूपये ऐंठ लिये गये। परन्तु इस तथ्य की पुष्टि हेतु अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य पत्रावली पर पैसे दिये जाने के संबंध प्रस्तुत नही किया गया है। साथ ही पीडिता के बयान से स्पष्ट है कि उसके द्वारा जो आरोप अभियुक्त पर एक लाख रूपये ऐंठने का जो आरोप लगाया गया है। वह घटना दिनांक 22.08.2023 से पूर्व का प्रकरण है। पीडिता के पति अर्थात डी0डब्लू01 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि अभियुक्त और उसके बीच में पैसो का लेन–देन चलता रहता था। परन्तु उसके द्वारा अभियुक्त पर पीडिता को घोर उपहति में डालकर उससे अवैध जबरन पैसे की वसूली करने के संबंध में स्पष्ट तौर से मना किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा भी यह स्वीकार किया गया है कि दौरान विवेचना ऐसा कोई साक्ष्य उनके संज्ञान में नही आया जिससे अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से जबरन पैसे वसूली करने के तथ्य की पुष्टि की जा सके। पीडिता के स्वयं के जबरन पैसे वसूली के संबंध में दिये गये बयानो में गम्भीर विरोधाभास है। पीडिता द्वारा बयान धारा 164सी.आर.पी.सी. में अवैध जबरन पैसा वसूली के संबंध में कोई कथन नही किया गया है। पीडिता द्वारा अपने बयानो में ऐसी किसी तिथि का उल्लेख नही किया गया है जब अभियुक्त द्वारा पीडिता व पीडिता के पति से जबरन पैसा वूसली की मांग की गयी हो। उपरोक्त के दृष्टिगत न्यायालय यह पाता है कि अभियोजन यह तथ्य साबित करने में विफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा पीडिता को घोर उपहति के भय में डालकर उससे अवैध जबरन पैसे की वसूली की गयी हो। अतः बचाव पक्ष का उपरोक्त वर्णित तर्क अभियुक्त के पक्ष में व अभियोजन के विरूद्ध निस्तारित किया जाता है।

बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा पीडता को अभियुक्त द्वारा जानसे मारने की धमकी देकर आपरधिक अभित्रास कारित किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

49. प्रस्तुत प्रकरण में तहरीर अनुसार पीडिता द्वारा अभियुक्त पर यह आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया था, जिसके आधार पर अभियुक्त पीडिता व पीडिता के पति को डरा रहा था व उनसे पैसे की मांग करता था। पीडिता द्वारा अभियुक्त की मांग पूरी न किये जाने पर अभियुक्त पीडिता के परिवार को फोन पर लगातार जान से मारने की धमकी व वीडयो वायरल करने की धमकी दे रहा था, जिससे पीडिता व पीडिता का परिवार सदमें में व भयभीत रहा।

50. पीडिता द्वारा अपने धारा 164सी.आर.पी.सी. के बयानो में इस संबंध में कोई कथन नही किया गया है कि अभियुक्त द्वारा उसको व उसके परिवार को कब और कैसे जानसे मारने की धमकी दी गयी। पीडिता के न्यायालय के समक्ष हुए बयानो में भी इस संबंध में कोई स्पष्टता नही है कि अभियुक्त द्वारा उसको जान से मारने की धमकी कब दी गयी। पीडिता के पति के बयानो में भी इस संबंध में कोई उल्लेख नही किया गया है कि अभियुक्त पीडिता व पीडिता के परिवार को जानसे मारने की धमकी देता था। साक्षी संख्या–4 विवेचक द्वारा भी इस संबंध में कोई विवेचना नही की गयी है। पीडिता ने अपने बयानो में अभियुक्त द्वारा धमकी देने के लिए इस्तेमाल किये गये शब्दो का उल्लेख नही किया है।

अभियोजन द्वारा पीडिता व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने के संबंध में कोई पुंष्टिकारक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही कराया गया है जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो सके कि अभियुक्त द्वारा पीडित व उसके परिवार को जानसे मारने की धमकी दी गयी हो। अतः उक्त के आधार पर न्यायालय बचाव पक्ष के तर्क में बल पाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा पीडता को अभियुक्त द्वारा जानसे मारने की धमकी देकर आपरधिक अभित्रास कारित किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा पीडिता का अश्लील वीडियो बनाया गया हो अथवा उसका प्रसार किया गया हो।

51. प्रस्तुत प्रकरण में तहरीर अनुसार दिनांक 22.08.2023 की शाम के लगभग आठ बजे अभियुक्त पीडिता के पति की मर्जी के बिना पीडिता को किसी अज्ञात स्थान पर लेकर चला गया और वहां पर पीडिता की मर्जी के खिलाफ दो दिन तक कोल्डड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ पिलाकर पीडिता नशे की हालत में होने के कारण पीडिता की अश्लील वीडियो बना ली और वीडियो को सोसल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गयी। अभियुक्त ने एक वीडियो पीडिता के पति के मोबाईल नम्बर 9760090607 पर भेजी गयी। वीडियो डिलीट करने हेतु अभियुक्त एक लाख रूपये की मांग कर रहा है। अभियुक्त की बाते ना मानने पर वीडिये वायरल करने की धमकी दे रहा है। पीडिता व पीडिता का परिवार घटना के बाद सदमें है। साक्षी संख्या–1 पीडिता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ''दिनांक 22.08.2023 की शाम के लगभग आठ बजे अभियुक्त उसे बहला फुसलाकर राणा स्टील से ऑटो से सहारनपुर सिटी लेकर आया। वहां इसने मुझे कोल्डड्रिंक पिलाई, उसमें कुछ नशीला पदार्थ था, जिससे मैं बदहवास हो गयी। वहां इसने मेरे साथ मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे बलात्कार किया और मेरी अश्लील वीडियो बनाई। अभियुक्त वीडियो के सहारे मुझे ब्लैकमेल करता रहा। अभियुक्त मुझे लगतार ब्लैकमेल कर वीडियो को वायरल करने की धमकी देता था। अभियुक्त ने वीडियो मेरे पति के मोबाईल पर भेज दिया और इसके बाद भी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे की मांग करता था। अभियुक्त ने वीडियो कई लोगो के मोबाईल पर वायरल कर दिया था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि घटना के पन्द्रह दिन बाद मुलजिम ने वीडियो मेरे पति के मोबाईल पर भेजी थी। वह वीडियो मैने पुलिस को दे दिया था।'' साक्षी संख्या–4 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ''दिनांक 26.10.2023 को सीडी का पर्चा नं012 किता किया गया, जिसमें मुकदमे से संबंधित माल मोबाईल/डीएनए को परीक्षण हेतु कांस्टेबल रोहित सैन को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा था जिसकी दो रिसीविंग प्राप्त हुई थी, जिनका तसकरा व कांस्टेबल रोहित सैन के बयान लेकर पर्चे में अंकित किये गये। उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि घटना के संबंध में वीडियो वायरल होने के कारण ही धारा 67आई.टी.एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। मुझे पीडिता के पति ने उपरोक्त वायरल वीडियो दिखाई थी। यह वीडियो पीडिता के पति के गांव के किसी व्यक्ति ने ही पीडिता के पति को भेजी थी, जिसका नाम पीडिता के पति ने नही बताया था। घटना के संबंध में उपलब्ध वीडियो किस व्हाटसेप नम्बर से आयी थी, नहीं पता। मेरे द्वारा विवेचना में यह जानने का प्रयास नही किया कि किस नम्बर से पीडिता के पति पर

कथित वीडियो आयी थी। मैं यह भी नही बता सकता कि वीडियो पीडिता के पति के पास किस तारीख में किसके द्वारा भेजी गई है। दौरान विवेचना यह भी नही पता चला कि अभियुक्त अनुपम द्वारा यह वीडियो पीडिता के पति को भेजी गई है या नही। कथित वीडियो बरामशुदा मोबाईल से नही बनाई गयी है। कथित घटना में दर्शित वीडियो के संबंध में मेरे द्वारा कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नही किया गया है। उपरोक्त मुकदमे में जो मोबाईल वीडियो के संबंध में माल मुकदमा बनाया गया वह अभ्युिक्त से बरामद नही हुआ। यह मोबाईल पीडिता के पति ने अपना मोबाईल उपलब्ध कराया था, जिसमें उक्त मुकदमे से संबंधित वीडियो मौजूद थी। यह मोबाईल पीडिता के पति का ही था। मोबाईल पीडिता के पति का होने के संबंध में मैने कोई दस्तावेज नही लिया गया। चूंकि पीडिता के पति के पास मोबाईल से संबंधित कोई भी दस्तावेज नही थे। उक्त मोबाईल के संबंध में पीडिता के पति ने मुझे कुछ नही बताया था न ही मोबाईल के संबंध में कोई जांच की। वीडियो की जांच कराने हेतु मोबाईल को कब्जे में लिया गया था। मेरे द्वारा वीडियो/मोबाईल जांच के लिये भेजी गयी थी। दौरान विवेचना विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा कोई रिपोर्ट वापस नही मिला था। उसके बाद मुझे आज तक याद नही है कि उसके संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट आई है या नही। विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने के संबंध में प्रपत्र तैयार किया था। साक्षी डी0डब्लू01 पीडिता के पिता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ''यह मुकदमा मेरी पत्नी पीडिता ने लिखवाया था। मुझे जानाकरी नही है कि मेरी पत्नी पीडिता के साथ घटना कहां हुई न ही घटना के बारे में मेरी पत्नी पीडिता ने बताई। पुलिस ने मेरा मोबाईल लिया था। उस फोन में मैने कोई वीडियो नही देखी थी। फोन ज्यादातर घर पर रहता था। मैने मोबाईल पर जो कथित वीडियो दर्शायी है वह कहां से आई है, मुझे नही पता। यह वीडियो उसी मोबाईल से बनाई जा सकती थी क्योंकि फोन घर पर ही रहता था। मेरी पत्नी से मुलजिम अनुपम ने कोई मांग नही की थी न ही मुझसे मांग की थी न ही मुलजिम द्वारा मांग करने के संबंध में मुझे कुछ बताया। पुलिस ने मेरा कोई बयान नही लिया था। साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि ''उसके पास मोबाईल सेमसंग का था, जब पुलिस ने मुझसे सेमसंग का मोबाईल कब्जे में लिया तो उस समय लिखा पढी हुई थी या नही मुझे नही पता। मेरी पत्नी के साथ घटना कब हुई मुझे जानकारी नही है न ही घटना के बारे में मुझें बताया।''

52. उपरोक्त वर्णित साक्षीगण के बयानो एवं पत्रावली पर प्रस्तुत प्रपत्रो के अवलोकन उपरान्त न्यायालय यह पाता है कि पीडिता द्वारा कथित अश्लील वीडियो पत्रावली पर बतौर साक्ष्य साबित नही कराया गया है। प्रस्तुत प्रकरण के विवेचक साक्षी संख्या–4 द्वारा अपने बयानो में यह कथन किया गया कि उनको पीडिता के पति ने वायरल वीडियो दिखाया था, जिसे कथित तोर पर गांव के किसी व्यक्ति ने पीडिता के पति के मोबाईल पर भेजा था। परन्तु विवेचक द्वारा इस संबंध में न तो उस मोबाईल नम्बर का पता और न ही व्हाटसेप नम्बर का पता लगाने का प्रयास किया गया, जिससे यह कथित अश्लील वीडियो पीडिता के पति के मोबाईल पर आया है। साक्षी संख्या–4 द्वारा इस संबंध में किसी अन्य व्यक्ति से कोई पूछ–ताछ या विवेचना नही की गयी। कथित अश्लील वीडियो किस तारीख को आया था, इस संबंध में भी विवेचक द्वारा कोई विवेचना नही की गयी। कथित अश्लील वीडियो के संबंध में कोई स्वतंत्र साक्षी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही कराया गया। विवेचक द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि

उनके द्वारा वीडियो/मोबाईल जांच के लिए भेजी गयी थी। परन्तु दौरान विवेचना विधि विज्ञान प्रयोगशाला की कोई रिपोर्ट वापस प्राप्त नही हुई, साथ ही विवेचक साक्षी संख्या–4 के बयान वाले दिन तक विधि विज्ञान प्रयोगशाला की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं आयी। पत्रावली पर कथित अश्लील वीडियो प्रस्तुत नही कराया गया व ना ही संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। पीडिता के पति द्वारा यह बयान दिया गया कि कथित अश्लील वीडियो से संबंधित कोई वीडियो उसने नही देखी। विवेचना के समय पुलिस द्वारा उसका मोबाईल ले लिया गया था। अतः उपरोक्त वर्णित साक्षीगण के बयान एवं पत्रावली के परिशीलन उपरान्त न्यायालय यह पाता है कि अभियोजन द्वारा कथित अश्लील वीडियो न्यायालय के समक्ष बतौर साक्ष्य प्रस्तुत नही कराया गया। कथित अश्लील वीडियो के संबंध में अभियोजन साक्षीगण के बयानो में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा इस संबंध में कोई स्वतंत्र साक्षी भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही कराया गया एवं न ही कथित अश्लील वीडियो के संबंध में कोई विधि विज्ञान प्रयोगशाल की रिपोर्ट पत्रावली पर दाखिल की गयी है। उपरोक्त के दृष्टिगत न्यायालय बचाव पक्ष के इस तर्क में बल पाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा पीडिता का अश्लील वीडियो बनाया गया हो अथवा उसका प्रसार किया गया हो। उक्त तर्क का निस्तारण अभियुक्त के पक्ष में एवं अभियोजन के प्रतिकूल किया जाता है।

53. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान प्रकरण में अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य के आधार पर पीडिता के साथ बलात्कार, पीडिता व पीडिता के पति के साथ मारपीट, पीडिता को नशीला पदार्थ पिलाया जाना, जान से मारने की धमकी दिया जाना, पीडता को घोर उपहति के भय में डालकर अवैध जबरन पैसे की वसूली किये जाने एवं पीडिता का अश्लील वीडियो वायरल किये जाने की घटनाओ को साबित करने में विफल रहा है एवं अभियुक्त के विरूद्ध अपना वाद युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित नही कर पाया है, जिसके आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित होगा।

54. बचाव पक्ष द्वारा उक्त तर्क के संबंध में उपरोक्त वर्णित समस्त तर्को में उल्लेखित बिन्दुओ एवं दिये गये मत के अतिरिक्त न्यायालय यह पाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा तथ्य के साक्षी के रूप में केवल पीडिता को ही परीक्षित कराया गया। पीडिता के बयान अदम तहरीर एवं बयान अन्तर्गत धारा 164सी.आर.पी.सी. और न्यायालय के समक्ष दिये गये बयानो में गम्भीर विरोधाभास दर्शित होता है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा पीडिता के पति को बतौर अभियोजन साक्षी परीक्षित नही कराया गया है। पीडिता के पति को बचाव पक्ष द्वारा बतौर बचाव साक्षी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया, जिसके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में पीडिता द्वारा अपनी तहरीर में यह कथन किया गया कि जब उसके साथ बलात्कार हुआ तो उसने सम्पूर्ण घटनाक्रम घर आने के बाद अपने पति को बता दिया था, साथ ही पीडिता द्वारा यह भी कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा उसकी अश्लील वीडियो पीडिता के पति के मोबाईल पर भेजी है, परन्तु उपरोक्त दोनो कथनो का समर्थन पीडिता के पति द्वारा अपने बयानो में नही किया गया। पीडिता के पति द्वारा यह भी कथन किया गया कि उसका और अभियुक्त का पैसो का लेन–देन था। परन्तु पीडिता के पति द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में उपहति कारित करने के भय में डालकर उद्यापन करने के आरोप का समर्थन नही किया

गया है। प्रस्तुत प्रकरण में पीडिता के अलावा अन्य कोई व्यक्ति कथित बलात्कार की घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नही है। परन्तु यदि अभियोजन कथानक अनुसार पीडिता द्वारा बलात्कार की घटना के बाद घटना के बारे में अपने पति को बता दिया गया था तो फिर पीडिता के पति का बयान प्रस्तुत प्रकरण में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। परन्तु यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को बतौर अभियोजन साक्षी प्रस्तुत नही कराया गया। इसके विपरीत पीडिता के पति को बतौर बचाव पक्ष साक्षी प्रस्तुत कराया गया, जिसके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया गया।

55. प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त वर्णित तर्को में व्यक्त किये गये मत के अतिरिक्त न्यायालय यह भी पाता है कि अभियोजन द्वारा पत्रावली पर साबित कराये गये मैडिकल प्रपत्रो से पीडिता के साथ बलात्कार की घटना की पुष्टि नही होती है। सर्वप्रथम प्रस्तुत प्रकरण में पीडिता द्वारा तहरीर लगभग चालीस दिन के विलम्ब से दर्ज करायी गयी, जिसका समुचित स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। इसके अतिरिक्त पीडिता का मैडिकल भी घटना के लगभग चालीस दिन बाद हुआ, जिस कारण मैडिकल प्रपत्रो से पीडिता के साथ बलात्कार होना नही पाया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी संख्या–4 द्वारा यह स्पष्ट रूप से बयान दिया गया कि पीडिता द्वारा अपने आंत्रिक मैडिकल परीक्षण के लिए मना कर दिया गया, जिस कारण उसका आंत्रिक मैडिकल परीक्षण नही कराया गया। प्रस्तुत प्रकरण में पीडिता द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि अभियुक्त ने पीडिता व पीडिता के पति के साथ मारपीट की गयी परन्तु पीडिता के पति का मैडिकल नहीं कराया गया, जिसका कारण अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। मैडिकल प्रपत्रो से पीडिता व पीडिता के पति के साथ मारपीट किये जाने की घटना साबित नही होती है। साथ ही अभियोजन द्वारा अभियुक्त पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उसके द्वारा पीडिता को नशीला पदार्थ कोल्डड्रिंक में मिलाकर पिलाया गया, जिसके कारण वह बदहवाश हो गयी और अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया व उसकी अश्लील वीडियो बनायी गयी। परन्तु इस संबंध में अभियोजन द्वारा कोई मैडिकल प्रपत्र पत्रावली पर दाखिल नही किया गया जिसे इस तथ्य की पुष्टि हो सके कि बलात्कार की घटना से पूर्व अभियुक्त द्वारा पीडिता को दो दिन तक नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया गया हो। जहां एक ओर पीडिता द्वारा अपने बयानो में कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा उसे दो दिन तक किसी अज्ञात स्थान पर नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोशी की हालत में बलात्कार किया गया, जिसे बाद वह बेहोशी की हालत में अपने घर पहुंची। वहीं दुसरी ओर बचाव पक्ष साक्षी संख्या–1 पीडिता के पति द्वारा अपने बयानो में यह कथन किया गया है कि जब घटना के बाद पीडिता घर पर आई तो उसकी तबीयत खराब नही थी और वह बदहवाश हालत में नही थी। पीडिता द्वारा अपनी तहरीर व बयानो में यह कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा उसे राणा स्टील से लेकर ऑटो में बैठाया गया और नशीला पदार्थ पिलाया गया और उसके बाद बलात्कार किया गया। परन्तु उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा उसे नशीला पदार्थ पिलाकर सहारनपुर से बाहर अम्बाला के किसी गांव में ले जाया गया, जहां उसके साथ दो दिन तक बलात्कार किया गया। परन्तु पीडिता द्वारा अम्बाला के किसी गांव में बलात्कार किये जाने के संबंध में न

तो अपनी तहरीर न बयान धारा 164सी.आर.पी.सी. और न ही अपनी मुख्य परीक्षा में इसका उल्लेख किया गया है। वर्तमान प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि पीडिता के मैडिकल के दौरान उसका मैडिकल व डीएनए सेम्पल लिया गया था, जिसे अभियोजन अनुसार जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला गाजियाबाद भेजा गया, परन्तु पत्रावली पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नही करायी गयी, जो कि अभियोजन कथानक को बल प्रदान करती।

56. पीडिता अनुसार वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त द्वारा उसका कथित अश्लील वीडियो बनाया गया, जिसके आधार पर अभियुक्त द्वारा पीडिता से जबरन एक लाख रूपये की वसूली की गयी और कथित अश्लील वीडियो अभियुक्त द्वारा वायरल कर दिया गया। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई कथित अश्लील वीडियो पत्रावली पर साबित नही कराया गया जिससे अभियोजन कथानक को साबित किया जा सके। विवेचक द्वारा पीडिता के पति का मोबाईल सील किया गया और जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। परन्तु विवेचक द्वारा कथित अश्लील वीडियो के संबंध में कोई विवेचना नही की गयी। साथ ही पत्रावली पर उक्त कथित अश्लील वीडियो व मोबाईल के संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या प्रस्तुत नही की गयी है। कथित अश्लील वीडियो का समर्थन बचाव पक्ष साक्षी संख्या–1 अर्थात पीडिता के पति द्वारा नही किया गया, जबकि अभियोजन अनुसार कथित अश्लील वीडियो अभियुक्त द्वारा कथित तौर पर पीडिता के पति के मोबाईल पर ही अभियुक्त द्वारा भेजा गया था। उक्त कथित अश्लील वीडियो के संबंध में अभियोजन द्वारा कोई साक्षी न्यायालय के सामने प्रस्तुत नही कराया गया, जो इस तथ्य की पुष्टि कर सके कि उसके द्वारा यह वीडियो देखा गया हो।

57. पीडिता द्वारा प्राथमिकी चालीस दिन की देरी से दर्ज कराने का यह आधार लिया गया कि उसको व उसके परिवार को अभियुक्त द्वारा जानसे मारने की धमकी दी गयी, जिस कारण वह सदमें थी व भयभीत थी। अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्षीगण के बयानो से अभियुक्त द्वारा दी गयी धमकी साबित नही करायी गयी। बचाव पक्ष साक्षी संख्या–2 द्वारा भी ऐसी किसी जानसे मारने की ामकी का उल्लेख अपने बयान की मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा में नही किया गया है। पीडिता द्वारा अपने बयानो में कथित धमकी के संबंध में इस्तेमाल किये गये शब्द न्यायालय के समक्ष स्पष्टतौर पर नही बताये गये और ना ही इस संबंध में कोई उल्लेख अपने बयान धारा 164सी.आर.पी.सी. में किया गया। पीडिता का मात्र यह कह देना कि अभियुक्त द्वारा उसको व उसके परिवार को जानसे मारने की धमकी दी गयी, इस तथ्य की पुष्टि नही करता है कि अभियुक्त द्वारा यह धमकी दिये जाने में कौन से शब्द इस्तेमाल किये गये व किस विशेष शब्दो के डर से पीडिता व उसके परिवार द्वारा प्राथमिकी दर्ज नही करायी गयी।

58. पीडिता द्वारा अपनी तहरीर व मुख्य परीक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि वह अपने परिवार के साथ एक छत के नीचे उसी घर में निवास करती है, जहां अभियुक्त मकान के निचले भाग में गुड–शक्कर की पैकिंग का काम करता है। पीडिता कथनानुसार पीडिता व अभियुक्त की जान पहचान काफी समय से है व पीडिता अभियुक्त के साथ प्रेम प्रसंग में रही है। अभियुक्त का पीडिता के घर भी आना जाना था व पीडिता के पति द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि अभियुक्त और पीडिता के पति का पैसो को लेकर आपस में लेन देन है। प्रस्तुत प्रकरण में पीडिता एक व्यस्क महिला है, जिसकी शादी 15–16 साल पहले

हो गयी थी और उसके चार बच्चे भी है। अतः पीडिता द्वारा किया गया यह कथन उसको अभियुक्त द्वारा मीठी–मीठी बातो को लेकर झूठे प्रेम प्रसंग में फंसा लिया गया व एक लाख रूपया ऐंठ लिया गया। उसके नैसर्गिक कृत्य को दर्शित नही करता है एवं पीडिता द्वारा दिये गये बयान विश्वसनीय प्रतीत नही होते है। पीडिता द्वारा तहरीर में किये गये कथनो के समर्थन में कोई पुष्टिकारक साक्ष्य अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही कराया गया है। अतः न्यायालय यह पाता है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप साबित करने में समुचित साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही कराये गये, जिसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित हो सके।

59. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन साक्ष्य के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण के साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है। पीडिता द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान विश्वसनीय प्रतीत नही होते है। पीडिता के बयानो की पुष्टि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कराये गये किसी अन्य पुष्टिकाक साक्ष्य से नही होती है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में महत्वपूर्ण गवाह जैसे पीडिता के पति को परीक्षित नही कराया गया। परन्तु जब उक्त साक्षी को बतौर बचाव साक्षी न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया तो साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में किसी अन्य स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित मैडिकल प्रपत्रो से घटना साबित नही होती है। अभियोजन द्वारा अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जैसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही करायी गयी। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत घटना से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य जैसे अश्लील वीडियो व मोबाईल फोन से संबंधित आख्या भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही करायी गयी। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा विवेचना गम्भीरतापूर्वक नही की गयी एवं विवेचक द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र नही किये गये। प्रस्तुत प्रकरण में घटनास्थल साबित नही है। उपरोक्त वर्णित समस्त तर्को के आधार पर न्यायालय यह पाता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त **अनुपम** के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा **376,323,328,386,506 भा0दं0सं0 व धारा 67 आई.टी.एक्ट** युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त **अनुपम** आरोपित अपराध से दोष मुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

60. अभियुक्त **अनुपम** को **सत्र वाद संख्या 103/2024 मु0अ0सं0 220/2023** अन्तर्गत **धारा–376,323,328,386,506 भा0दं0सं0 व धारा 67 आई.टी.एक्ट** थाना जनकपुरी, जिला सहारनपुर में लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

61. अभियुक्त दौरान विचारण जमानत पर है। अभियुक्त के व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनान को उन्मोचित किया जाता है।

62. अभियुक्त धारा 437ए दं0प्र0सं0/481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुपालन में पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एंव इसी धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करे, जो निर्णय की तिथि से 6 माह तक प्रभावी रहेगे।

63. अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि यदि उक्त निर्णय के विरुद्ध कोई अपील योजित की

जाती है तो अभियुक्त माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थित होंगे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित हो।

दिनांकः 19.06.2026

(श्रेय शुक्ला)
(जे0ओ0 कोड यू0पी0 3845)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम,
सहारनपुर।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 19.06.2026

(श्रेय शुक्ला)
(जे0ओ0 कोड यू0पी0 3845)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम,
सहारनपुर।

Digitally signed by Shrey Shukla
Date: 2026.06.20 15:11:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court